

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023—वैशाख 29, शक 1945

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएँ

कार्यालय, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्रारूप सोलह

[ नियम 19 (2) देखिये ]

[ धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना ]

ग्वालियर, दिनांक 27 अप्रैल, 2023

क्र./ग्वा.वि.प्रा./प्लानिंग/23/3073.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम), नगर विकास स्कीम क्रमांक 04 अर्थात् हवाई अड्डे से शताब्दीपुरम होते हुए साडा तक 40 मी. चौड़ी मास्टर प्लान की सड़क के आसपास योजना ग्राम लखमीपुर, मऊ, विक्रमपुर, अकबरपुर खालसा, जमाहर, जलालपुर, मालनपुर, गंगापुर, पुरानी छावनी, खेरियाभान, रायरू (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार है :-

स.क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	
1	महेंद्र सिंह पुत्र डांगर सिंह	मुरार	लखमीपुर	1/1	1.1600
2	होतम सिंह पुत्र दुनडेर सिंह	मुरार	लखमीपुर	1/2	
3	सोकत खा पुत्र बाटन खा	मुरार	लखमीपुर	1/3/1	
4	होतम सिंह पुत्र दुनडेर सिंह	मुरार	लखमीपुर	1/3/2	
5	(शासकीय)	मुरार	लखमीपुर	19/1/1	0.7100
6	खेमराज पुत्र भगवान	मुरार	लखमीपुर	19/1/2	
7	सोकत खा पुत्र बाटन खा	मुरार	लखमीपुर	19/2	
8	सुरेन्द्र सिंह नरवारिया पुत्र विजय सिंह नरवारिया	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	1/1	0.0710
9	सियाराम पुत्र पातीराम	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	1/2	0.6350
10	रामवरन सिंह पुत्र लोकमनसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	1/3	0.1760
11	शान्ति पाते गिरिन्द्र सिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	1/4	0.1760
12	गरासिंह पुत्र गिरिन्द्र सिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	1/5	0.0100
13	तेजसिंह पुत्र भारतसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	1/6	0.1730
14	राकेश, दिलीप, विनाद पुत्र सुल्तानसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	1/7	0.1760
15	(शासकीय)	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	2	0.1670
16	कस्तूरी, रामवरनसिंह, रचना पुत्र जन्दल सिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	3/1	0.3030
17	अशोक, उत्तमसिंह, मुकेश पुत्र रामदुलारे	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	3/2	0.3140
18	उमैलालीधी पत्नी रामवरनसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	3/3	0.3030
19	रामअखतियारासिंह पुत्र ब्रखभानसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	4	0.9300
20	अजुन सिंह, विश्रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह/गुब्बर, रावे पुत्र होतमसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	5/1	0.4080
21	जसवंत पुत्र सीताराम	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	5/2	0.1980
22	प्रेमवती पुत्री रामजीलाल	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	5/3	0.2090
23	मांटेर श्री गंगाजी माफ्ठी	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	6	1.1500
24	रामअखतियारासिंह पुत्र ब्रखभानसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	7	0.8050
25	होतम सिंह पुत्र बद्रीसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	8	0.5230
26	नारायणसिंह पुत्र लालकेशन	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	9	0.7730
27	श्री कृष्ण, लक्ष्मणसिंह पुत्र रामचंद्र	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	10	0.5750
28	गोरेलाल पुत्र बिन्द्रावन	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	11	0.7320
29	(शासकीय)	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	12	0.1670
30	जावित्री, कल्याणसिंह, रूपसिंह पुत्र चतुर सिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	13	0.7630
31	सिकंदर पुत्र द्वारिका/राजवीर, हेमसिंह, सुरेन्द्र पुत्र कासीराम	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	14/1	0.6620
32	रामसहाय, इन्दर सिंह, रामबरन पुत्र चौधरीसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	14/2	0.3310
33	पूरनसिंह पुत्र रामसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	15/1/1	0.3920
34	ग्याना पुत्र रामदुलारे	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	15/1/2	0.1200
35	श्री कृष्ण, लक्ष्मणसिंह पुत्र रामचंद्र	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	15/2	0.5120
36	मोहनसिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	16	0.5020
37	देवेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र मनोराम राजपूत	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	17	0.6270
38	मोहनसिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	18	0.4180
39	भीकमसिंह, सुल्तानसिंह पुत्र कदमसिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	19	0.6890
40		गिर्दे ग्वालियर	मऊ	20	0.6800
41	धनश्री पत्नी सुरेन्द्र सिंह/भगवानसिंह पुत्र नारायण सिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	21	0.5230
42	धनसुन्दर पुत्र श्रीलाल	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	22/1	0.6795
43	धनसुन्दर पुत्र श्रीलाल	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	22/2	0.3135
44	कप्तानसिंह पुत्र रामनारायण	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	23	0.9510
45	रामअखतियार सिंह पुत्र ब्रखभान सिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	24/1/1	0.2823
46	रामअखतियार सिंह पुत्र ब्रखभान सिंह	गिर्दे ग्वालियर	मऊ	24/1/2	0.0627

47	रामअख्तियार सिंह पुत्र ब्रह्मान सिंह	गिर्द खालियर	मऊ	24/2	0.2090
48		गिर्द खालियर	मऊ	25	
49	(शासकीय)	गिर्द खालियर	मऊ	26	0.2090
50	मोहनसिंह पुत्र दुनटोसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	27/1	0.8780
51	साबरन सिंह पुत्र मनाहर सिंह	गिर्द खालियर	मऊ	27/2	0.8680
52	(शासकीय)	गिर्द खालियर	मऊ	28/1	0.3580
53	रामबरनासिंह पुत्र जन्देल सिंह	गिर्द खालियर	मऊ	28/2	0.1230
54	अशोक, उत्तमसिंह, मुकेश पुत्र रामदुलारे	गिर्द खालियर	मऊ	28/3	0.4810
55	श्रीबाकिबिहारी कस्टक्शन कंपनी द्वारा पार्टनर	गिर्द खालियर	मऊ	28/4	0.4710
56	शैलेन्द्र कुमार, प्रेम सागर पुत्र आमप्रकाश	गिर्द खालियर	मऊ	29	0.0210
57	(शासकीय)	गिर्द खालियर	मऊ	30	0.0210
58	(शासकीय)	गिर्द खालियर	मऊ	31	0.1460
59	देवेन्द्र सिंह, मनोजसिंह पुत्र मनोराम	गिर्द खालियर	मऊ	32	0.4080
60	(शासकीय)	गिर्द खालियर	मऊ	33	0.1150
61	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	34	0.4080
62	रामअख्तियार सिंह पुत्र नत्थूसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	35	0.1050
63	जैतेंद्र सिंह, रामकुमार पुत्र स्व.सिकंदरसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	36	0.1990
64	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	37	0.1050
65	जयसिंह कुशवाह पुत्र सूबदार सिंह कुशवाह	गिर्द खालियर	मऊ	38	0.3870
66	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	39	0.1150
67	जैतेंद्र सिंह, पुत्र अजय सिंह/विनयकुमारराय पुत्र दयानन्द राय	गिर्द खालियर	मऊ	40	0.1635
68	(शासकीय)	गिर्द खालियर	मऊ	42	0.1205
69	कप्तान सिंह पुत्र रामनारायण सिंह	गिर्द खालियर	मऊ	43	0.7985
70	ठाकुरदास पुत्र टंकराम	गिर्द खालियर	मऊ	44/1	0.3720
71	मुनेन्द्रसिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्र लाखन सिंह	गिर्द खालियर	मऊ	44/2	
72	गोरिलाल पुत्र बिन्द्रावन	गिर्द खालियर	मऊ	45	0.1780
73	गोरिलाल पुत्र बिन्द्रावन	गिर्द खालियर	मऊ	46	0.0520
74	गोरिलाल पुत्र बिन्द्रावन	गिर्द खालियर	मऊ	47	0.0420
75	गोरिलाल पुत्र बिन्द्रावन	गिर्द खालियर	मऊ	48	0.1053
76	(शासकीय)	गिर्द खालियर	मऊ	93	0.0410
77	लक्ष्मणसिंह पुत्र रामचंद्र	गिर्द खालियर	मऊ	94	0.0630
78	लक्ष्मणसिंह पुत्र रामचंद्र	गिर्द खालियर	मऊ	95/1	0.4390
79	सुशील पुत्र दर्शन सिंहलोधी	गिर्द खालियर	मऊ	95/2	0.5120
80	ग्याना पुत्र रामदुलारे	गिर्द खालियर	मऊ	96/1	
81	ओमप्रकाश, ध्रुव सिंहपुत्र दर्शन सिंह	गिर्द खालियर	मऊ	96/2	0.4097
82	रुस्तम, सोलंसिंह पुत्र प्रेमसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	96/3	
83	रुस्तम, सोलंसिंह पुत्र प्रेमसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	97	0.3067
84	भगवती बेवा श्याम लाल	गिर्द खालियर	मऊ	344	0.2673
85	टिकू, संजय पुत्र शिवचरण/धर्मवीरसिंह, शिवनारायणसिंह पुत्र रामदयाल	गिर्द खालियर	मऊ	345	0.2925
86	गौता, शिला, हेमसिंह पुत्र कासीराम	गिर्द खालियर	मऊ	382	0.0780
87	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	383	0.0210
88	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	384	0.0670
89	रामाधार, भगवानदास पुत्र श्यामलाल	गिर्द खालियर	मऊ	386/1	0.3580
90	माधुरी पत्नी आर. पी. सिंह	गिर्द खालियर	मऊ	386/2	
91	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	386/3	
92	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	387	0.0730
93	कमल सिंह पुत्र राम सिंह	गिर्द खालियर	मऊ	388	4.1999
94	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	389	0.2190
95	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	390	0.2720
96	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	391	0.3660
97	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	392	0.5960
98	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	393	0.4810
99	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	394	0.4810
100	मोहन सिंह, रामस्वरूप पुत्र रामसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	395	0.4810
101	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	396	0.5230
102	रामअख्तियार सिंह पुत्र नत्थूसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	397	0.4700
103	शासकीय	गिर्द खालियर	मऊ	398/1	0.0940
104	जगदीश पुत्र उरुगा	गिर्द खालियर	मऊ	398/2/1	0.0840
105	श्रीराम रियलइन्फ्रास्ट्रक्चर	गिर्द खालियर	मऊ	398/2/2	0.3130
106	रामकली पत्नी देवसिंह	गिर्द खालियर	मऊ	398/3	0.2720

107	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मऊ	399	0.0420
108	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मऊ	400/1	0.0940
109	माधोसिंह, परमाल सिंह	गिदे ग्वालियर	मऊ	400/2	0.8050
110	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मऊ	401	0.3031
111	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मऊ	402	0.1893
112	नरोत्तम, वासुदेव पुत्र राम सिंह	मुरार	विक्रमपुर	35/1/1	0.1290
113	रामस्वरूप सिंह राजपूत पुत्र रामगोपाल सिंह राजपूत	मुरार	विक्रमपुर	35/1/2	
114	बारेलाल, टिल्लराम पुत्र राजाराम	मुरार	विक्रमपुर	35/2	
115	अशोक सिंह, कल्लू पुत्र भरोसी	मुरार	विक्रमपुर	36/1	0.2996
116	लोकमनसिंह पुत्र गिरिन्द्र सिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/2	
117	गरोसिंह पुत्र गिरिन्द्र सिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/3	
118	तेजसिंह पुत्र भारतसिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/4	
119	शांति पत्नी गिरिन्द्र सिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/5	
120	राकेश, दिलीप, विनोद पुत्र सुल्तानसिंह	मुरार	विक्रमपुर	36/6	0.9311
121	ठाकुरदास पुत्र टेकराम	मुरार	विक्रमपुर	37/1	
122	मानसिंह पुत्र टेकराम	मुरार	विक्रमपुर	37/2/1	
123	मानसिंह पुत्र टेकराम	मुरार	विक्रमपुर	37/2/2	
124	रामकटोरी पत्नी टेकराम	मुरार	विक्रमपुर	37/3	0.2221
125	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	62	
126	मोदिर	मुरार	विक्रमपुर	110	0.0694
127	राजेंद्रसिंह पुत्र नारायण सिंह	मुरार	विक्रमपुर	111/1	0.0161
128	अजमरसिंह पुत्र रामानंद	मुरार	विक्रमपुर	111/2	0.2432
129	ठाकुरदास पुत्र टेकराम	मुरार	विक्रमपुर	112	0.8460
130	बाबूलाल, पुत्र भूरीसिंह/रामबाई पत्नी सुघरसिंह	मुरार	विक्रमपुर	113	0.6270
131	परमार सिंह, योगिन्द्र सिंह पुत्र फूलसिंह	मुरार	विक्रमपुर	114	0.0730
132	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	115	0.0480
133	छत्रपाल पुत्र सदाराम	मुरार	विक्रमपुर	116	0.1990
134	महेंद्र सिंह, अनुरुद्ध सिंह पुत्र सुघरसिंह	मुरार	विक्रमपुर	117/1	0.8437
135	बाबूलाल, पुत्र भूरीसिंह	मुरार	विक्रमपुर	117/2	
136	रूपसिंह पुत्र भूरीसिंह	मुरार	विक्रमपुर	117/3	
137	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	118	0.3340
138	त्रिवेणी, भगवंत सिंह पुत्र बिद्रावन लोधी	मुरार	विक्रमपुर	119	0.0420
139	परसराम पुत्र शंकर सिंह/लक्ष्मी नारायण सिंह पुत्र स्व. शोभा राम	मुरार	विक्रमपुर	120	0.1184
140	श्रीमती रेखा पत्नी मुरारी	मुरार	विक्रमपुर	215/1	0.4650
141	श्रीमती पिंकी पत्नी मनीष	मुरार	विक्रमपुर	215/2	0.5690
142	श्रीमती सोमा शर्मा पत्नी बालकृष्ण शर्मा	मुरार	विक्रमपुर	215/3	0.1050
143	अजय, कमलेश, पुत्र रामजी लाल लोधी	मुरार	विक्रमपुर	216/1/1	3.2287
144	कमल सिंह, चरण सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	216/1/2	
145	इन्दर सिंह, रामश्वर, पुत्र धन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	216/1/3	
146	महेश, कल्लू पुत्र भूप सिंह	मुरार	विक्रमपुर	216/1/4	
147	मुरारी सिंह पुत्र बद्री सिंह	मुरार	विक्रमपुर	216/1/5	
148	लोटन सिंह, सुघर सिंह पुत्र रामनाथ	मुरार	विक्रमपुर	216/1/6	
149	श्रीमती विमला बाई पत्नी महेंद्र सिंह	मुरार	विक्रमपुर	216/1/8	
150	रसाल सिंह पुत्र गिरवर सिंह	मुरार	विक्रमपुर	217/1/1	0.1045
151	अजीत सिंह पुत्र फूल सिंह तोमर	मुरार	विक्रमपुर	217/1/2	0.2715
152	बिरेन्द्र सिंह पुत्र बदरी सिंह	मुरार	विक्रमपुर	217/2	0.3760
153	सुरेन्द्र सिंह पुत्र बाबु सिंह	मुरार	विक्रमपुर	217/3	0.3770
154	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	218	0.3030
155	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	219	0.2190
156	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	220/1	0.0210
157	भारती लोधी पुत्र फरन सिंह/महेंद्र सिंह लोधी पुत्र चिमन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	220/2/1	0.2090
158	रूप सिंह पुत्र भुरे सिंह	मुरार	विक्रमपुर	220/2/2	0.2090
159	केशव यादव पुत्र अतर सिंह	मुरार	विक्रमपुर	220/3	0.2090
160	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	220/4	0.4180
161	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	221	0.4080
162	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	222	0.0870
163	खेमराज सिंह पुत्र भगवान सिंह	मुरार	विक्रमपुर	223	0.1055
164	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	224	0.4490
165	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	228	0.4886
166	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	279	4.7030
167	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	280	0.1360

168	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	281	0.1360
169	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	282	0.1050
170	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	283	0.9119
171	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	284	0.6060
172	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	285	0.1050
173	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	286	0.0730
174	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	287	1.3380
175	जगन्नाथ पुत्र नाथू सिंह	मुरार	विक्रमपुर	288	0.2300
176	वर्धमान गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित	मुरार	विक्रमपुर	289	0.1570
177	वर्धमान गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित	मुरार	विक्रमपुर	290	0.1570
178	वर्धमान गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित	मुरार	विक्रमपुर	291	0.1780
179	वर्धमान गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित	मुरार	विक्रमपुर	292	0.3750
180	गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बाल मुकुंद शर्मा	मुरार	विक्रमपुर	293	0.3870
181	गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बाल मुकुंद शर्मा	मुरार	विक्रमपुर	294	0.4180
182	गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बाल मुकुंद शर्मा	मुरार	विक्रमपुर	295	0.3970
183	गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बाल मुकुंद शर्मा	मुरार	विक्रमपुर	296	0.7210
184	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	297	0.8360
185	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	298	0.7520
186	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	299	3.6580
187	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	300	0.9930
188	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	301	0.0840
189	सुघर सिंह, रामनरेश पुत्र रामनाथ	मुरार	विक्रमपुर	302/1	0.0210
190	बादामी, सहोदरा, पुत्र बट्टी सिंह	मुरार	विक्रमपुर	302/2	0.0200
191	पीपी सिंह, कमल सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	302/3	0.0210
192	इन्दर सिंह, रामेश्वर, पुत्र धन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	302/4	0.2500
193	दीवान सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र रामबरन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	302/5	0.0210
194	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	303	0.1150
195	पीपी सिंह, कमल सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	304/3	0.2500
196	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	327	0.0337
197	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	328	0.0730
198	केशव पुत्र गणेश राम	मुरार	विक्रमपुर	329	0.1990
199	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	330	0.0210
200	योगेश, दीवान सिंह पुत्र विजय सिंह	मुरार	विक्रमपुर	331	0.0354
201	रामा पुत्र भगरी सिंह/श्री माते विमला बाई पत्नी बलवीर सिंह	मुरार	विक्रमपुर	332	0.4391
202	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	333	0.0420
203	ज्ञानमती मेमोरियल शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति	मुरार	विक्रमपुर	334/1	0.3750
204	प्रमोद सिंह, नागेंद्र सिंह पुत्र जन्देल सिंह	मुरार	विक्रमपुर	334/2	0.3670
205	रेखा पत्नी जसवंत सिंह	मुरार	विक्रमपुर	335	0.0310
206	रामाधार, रामधनु पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	336/1	0.5430
207	अजीत सिंह पुत्र फूल सिंह तोमर	मुरार	विक्रमपुर	336/2/1	0.1260
208	अजीत सिंह पुत्र फूल सिंह तोमर	मुरार	विक्रमपुर	336/2/2	0.4180
209	शंकर सिंह पुत्र घासीराम	मुरार	विक्रमपुर	337/1	0.3130
210	राकेश सिंह, रूपेश सिंह पुत्र वशुदेव सिंह	मुरार	विक्रमपुर	337/2	0.3140
211	श्रीराम रियलइन्फ्रास्ट्रक्चर/जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	338/1	0.2660
212	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	338/2	0.0890
213	योगेश, दीवान सिंह पुत्र विजय सिंह	मुरार	विक्रमपुर	339/1	0.0140
214	योगेश, दीवान सिंह पुत्र विजय सिंह	मुरार	विक्रमपुर	339/2	0.1010
215	श्रीराम रियलइन्फ्रास्ट्रक्चर/जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	340	0.4180
216	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	341	0.1570
217	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	342	0.5330
218	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	343	0.8460
219	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	344	0.5850
220	राकेश सिंह, रूपेश सिंह पुत्र वशुदेव सिंह	मुरार	विक्रमपुर	345	0.3760
221	रामाधार, रामधनु पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	346	0.3450
222	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	347	1.0240
223	रामाधार, रामधनु पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	348	0.8880
224	अमिता बाई, बट्टी पुत्र मनोराम	मुरार	विक्रमपुर	349	0.8880
225	इन्दर सिंह, रामेश्वर, पुत्र धन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	350	0.1880
226	नीतू पत्नी प्रह्लाद सिंह	मुरार	विक्रमपुर	351	0.1780
227	शारदा, गीता पुत्री रामबाबू	मुरार	विक्रमपुर	352/1	0.0750
228	पीपी सिंह, कमल सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	352/2	0.0770

229	महेश, कल्लू, पुत्र भूप सिंह	मुरार	विक्रमपुर	352/3	0.0820
230	दीवान सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र रामबरन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	352/4	0.0800
231	कुमारी सिंह, प्रदीप नरवरिया पुत्र शिवचरण लाल	मुरार	विक्रमपुर	353	0.1880
232	अशोक कुमार, प्रदीप सिंह पुत्र शिवचरण	मुरार	विक्रमपुर	354/1	0.2090
233	जीतन्द्र पुत्र भवर सिंह	मुरार	विक्रमपुर	354/2	0.2090
234	सुघर सिंह, रामनरेश पुत्र रामनाथ	मुरार	विक्रमपुर	355/1	0.0990
235	महेश, कल्लू, पुत्र भूप सिंह	मुरार	विक्रमपुर	355/2	0.0990
236	पीपी सिंह, कमल सिंह पुत्र रामस्वरूप	मुरार	विक्रमपुर	355/3	0.0990
237	दीवान सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र रामबरन सिंह	मुरार	विक्रमपुर	355/4	0.1000
238	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	356	2.9570
239	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	357	0.3493
240	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	358	0.9138
241	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	359	1.4090
242	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	360	0.5960
243	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	361/1	0.3240
244	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	361/2	0.3230
245	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	361/3	0.2400
246	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	361/4	0.1050
247	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	362	1.1180
248	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	363/1	0.2300
249	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	363/2	0.2300
250	शासकीय जी.डी.ए.	मुरार	विक्रमपुर	363/3	0.2400
251	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	364	0.0630
252	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	365	0.0420
253	शासकीय	मुरार	विक्रमपुर	366	0.0110
254	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	1	0.1360
255	रोविन्द्र सिंह पुत्र जन्दल सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	2	0.9510
256	शलेन्द्र सिंह पुत्र जन्दल सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	3	0.4353
257	शलेन्द्र सिंह पुत्र जन्दल सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	4/1	0.0123
258	गजन्द्र सिंह, धमन्द्र सिंह पुत्र राजद्र सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	4/2	
259	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	6	0.0853
260	तारान सिंह पुत्र रामासिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	6/1/2	
261	तारान सिंह पुत्र रामासिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	52/1	0.3684
262	शांती पुत्री गरासिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	52/2	
263	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	53	0.0520
264	विमला बाई, राजद्री, सरोज पुत्री सियाराम	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	54/1	0.2250
265	अशोक पुत्र श्यामलाल	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	54/2	0.1200
266	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	55	0.0375
267	आमप्रकाश सिंह पुत्र सुघर सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	56	0.0856
268	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	58	0.0482
269	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	59	0.0398
270	गब्बर सिंह पुत्र सुघर सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	146	0.1536
271	गब्बर सिंह पुत्र सुघर सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	147	0.1302
272	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	148	0.0401
273	अशोक पुत्र श्यामलाल	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	149	0.1050
274	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	150	0.0420
275	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	151	0.0100
276	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	152	0.3760
277	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	153	0.4206
278	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	155	0.0241
279	आमप्रकाश सिंह पुत्र सुघर सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	156	0.2805
280	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	158	0.0311
281	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	159	0.0228
282	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	160	0.0349
283	अजय, कल्लू, चरण सिंह पुत्र उत्तम सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	161	0.1570
284	कन्हैया लाल, काशीप्रशाद पुत्र मानासिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	162	0.3970
285		गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	163/1	0.3742
286	श्री मती देवी पत्नी धमवीर सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	163/2/1	
287	सुबासिंह पुत्र काशीराम	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	163/2/2	
288	दिनेश पुत्र कामल सिंह /चरण सिंह पुत्र हातमसिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	174	0.0154
289	शासकीय	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	2/6	0.0054
290	रामानिवास, भवर सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	277/1	0.0108
291	फूलवती बेवा सुघर सिंह	गिद ग्वालियर	अकबरपुर खालसा	277/2	

292	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	517	0.0074
293	कोमल सिंह, मवाराम पुत्र परसराम/चरण सिंह पुत्र होतमसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	518/1	0.7386
294	मनोज, सत्यप्रकाश, राधा पुत्र चरण सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	518/2	
295	मवाराम पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	518/3	
296	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	518/4	
297	सुरेश कुमार पुत्र देवी दयाल श्रीवास्तव	गिदे ग्वालियर	जमाहर	520	0.1338
298	सुरेश कुमार पुत्र देवी दयाल श्रीवास्तव	गिदे ग्वालियर	जमाहर	521	0.0653
299	सुरेश कुमार पुत्र देवी दयाल श्रीवास्तव	गिदे ग्वालियर	जमाहर	522	0.0100
300	सोहद्राबाई, बफोबाई, निमल सिंह पुत्र ढालसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	523	0.3140
301	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	524	0.0940
302	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	525	0.0100
303	सुधर सिंह पुत्र विजय सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	526	0.0210
304	सुधर सिंह पुत्र विजय सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	527	1.1180
305	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	528	0.1670
306	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	529	0.0420
307	सुधर सिंह पुत्र विजय सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	530	0.0310
308	सुधर सिंह पुत्र विजय सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	531	0.4073
309	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	532/1	0.3620
310	मनोज, सत्यप्रकाश, राधा पुत्र चरण सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	532/2	0.3790
311	मवाराम पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	532/3	0.1990
312	कोमल सिंह, मवाराम पुत्र परसराम/चरण सिंह पुत्र होतमसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	532/4	0.0310
313	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	533	0.0100
314	मवाराम पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	534	0.1460
315	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	535	0.0420
316	सियाराम पुत्र महाराज सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	536/1	0.4070
317	अशोक, मनोज पुत्र श्यामलाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	536/2	0.3870
318	ओतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	537	0.0420
319	अशोक, मनोज पुत्र श्यामलाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	538	0.0210
320	चतुर सिंह पुत्र खेमराजसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	539	0.5960
321	चतुर सिंह पुत्र खेमराजसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	540	0.1050
322	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	542	0.0969
323	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	543	0.0917
324	मनोज, सत्यप्रकाश, राधा पुत्र चरण सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	544	0.0948
325	मवाराम पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	545	0.2400
326	मवाराम पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	546	0.1460
327	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	547	0.0100
328	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	548	0.0100
329	ओतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	549/1	0.3030
330	कोमल सिंह, पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	549/2	0.3450
331	बलवीर सिंह लोधी पुत्र धनीराम सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	550	0.6270
332	भारत सिंह, घनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिदे ग्वालियर	जमाहर	551	0.0100
333	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	552	0.1150
334	कलावती, भीकम सिंह पुत्र कदम सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	553	0.4080
335	भारत सिंह, घनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिदे ग्वालियर	जमाहर	554	0.3760
336	कलावती, भीकम सिंह पुत्र कदम सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	555	0.0420
337	मनोज, सत्यप्रकाश, राधा पुत्र चरण सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	556	0.3140
338	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	557	0.2930
339	लीलाबाई पत्नी हीरालाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	558/1	0.3286
340	मवाराम पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	558/2	
341	हेमा, पंकज, सोरव पुत्र मोहरदल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	558/3	
342	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	627	0.0276
343	धन्ना बाई, कोक सिंह पुत्र हरीसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	647/1	0.4197
344	देवेन्द्र सिंह पुत्र हीरा लाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	647/2	
345	देवेन्द्र सिंह पुत्र हीरा लाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	648	0.2151
346	सरदार सिंह पुत्र बुध्द सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	649	0.3970
347	सरदार सिंह पुत्र बुध्द सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	650	0.0310
348	लच्छी, भीमासिंह, शंभू सिंह पुत्र सरनाम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	651	0.6170
349	देवेन्द्र सिंह पुत्र हीरा लाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	652/1	0.0420
350	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	652/2	0.9090
351	देवेन्द्र सिंह पुत्र हीरा लाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	653	0.3030
352	भारत सिंह, घनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिदे ग्वालियर	जमाहर	654	0.3760

353	भारत सिंह, घनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिदे ग्वालियर	जमाहर	655/1	0.1050
354	कलवती, भीकमसिंह, सुल्तानसिंह पुत्र कदम सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	655/2	0.4700
355	भारत सिंह, घनश्याम पुत्र प्रह्लाद	गिदे ग्वालियर	जमाहर	656/1	1.0870
356	कलवती, भीकमसिंह, सुल्तानसिंह पुत्र कदम सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	656/2	1.0870
357	बाबुलाल पुत्र हरनारायण	गिदे ग्वालियर	जमाहर	657	0.6270
358	मोतीराम, रामबाबू पुत्र कुवरलाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	658/1	0.1350
359	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	658/2	0.1050
360	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	659	0.0730
361	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	797	0.1639
362	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	798	0.2520
363	हरनारायण, मनोज, पुत्र हातमासिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	901	0.1420
364	रोविसिंह लोधी, आनेलसिंह लोधी पुत्र इन्द्रजीत	गिदे ग्वालियर	जमाहर	902/1	0.4225
365	ओमप्रकाश, राकेश, गुड्डा पुत्र श्याम लाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	902/2	
366	ओमप्रकाश, राकेश, गुड्डा पुत्र श्याम लाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	903	0.4910
367	रूपसिंह, सुंदरसिंह पुत्र रामप्रसाद	गिदे ग्वालियर	जमाहर	904	0.3140
368	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	905	0.0520
369	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	906	0.1250
370	सियाराम, सरनाम, राजेंद्र पुत्र अमरसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	907	0.4610
371	अशोक, भीकमसिंह, मेघराज पुत्र सरमन	गिदे ग्वालियर	जमाहर	908	0.2479
372	रामजीलाल पुत्र रामचंद्र	गिदे ग्वालियर	जमाहर	916	0.0790
373	हरिविलास पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	939/1	0.1947
374	रामदयाल पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	939/2	
375	सुपर सिंह पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	939/3	
376	रामजीलाल, दीवान सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र रामभरोस	गिदे ग्वालियर	जमाहर	939/4	
377	राधेकेशन पुत्र मृगाराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	940	0.4820
378	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	941	0.2473
379	भगवती, वीरसिंह पुत्र खेमराज सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	942/1	0.9610
380	राधेकेशन पुत्र मृगाराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	942/2	0.3870
381	वीर सिंह, पुत्र नत्थी सिंह/धारा सिंह पुत्र सुधरसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	943	0.9200
382	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा	गिदे ग्वालियर	जमाहर	944	0.0310
383	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा	गिदे ग्वालियर	जमाहर	945	0.0338
384	प्रकाशो पुत्र खच्चू	गिदे ग्वालियर	जमाहर	946/1	0.8082
385	भजनलाल पुत्र खच्चू	गिदे ग्वालियर	जमाहर	946/2	
386	लज्जा राम पुत्र खच्चू	गिदे ग्वालियर	जमाहर	946/3	
387	विश्वनाथ पुत्र स्व. तुलसीराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	946/4	
388	मुनीम पुत्र खच्चू	गिदे ग्वालियर	जमाहर	946/5	
389	लज्जा राम पुत्र खच्चू	गिदे ग्वालियर	जमाहर	946/6	
390	तुलसीराम पुत्र खच्चू	गिदे ग्वालियर	जमाहर	946/7	0.3953
391	हरिविलास पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	947/1	
392	रामदयाल पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	947/2	0.1867
393	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	948	
394	रामचरण पुत्र चतुरी	गिदे ग्वालियर	जमाहर	949/1	0.5072
395	मनीराम पुत्र चतुरी	गिदे ग्वालियर	जमाहर	949/2	
396	मनीराम पुत्र चतुरी	गिदे ग्वालियर	जमाहर	950	0.0630
397	शंरसिंह, पुत्र सरनाम/सियाराम पुत्र अमरसिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	951	1.0660
398	कप्तान सिंह पुत्र चतुरसिंह/किरण पुत्र नवल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	952	1.0140
399	कप्तान सिंह पुत्र चतुरसिंह/किरण पुत्र नवल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	953	0.0310
400	सोनारामपुत्र अजमेर सिंह/मोतीराम पुत्र कुवर लाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	954	1.0970
401	अवतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	955/1	0.7400
402	धर्मवीरसिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	955/2	0.7400
403	भूप सिंह पुत्र पन्ना लाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	956	0.0100
404	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जमाहर	957	0.5330
405	कान्तिप्रशाद, कशी पुत्र कुंजी लाल	गिदे ग्वालियर	जमाहर	958	1.0100
406	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा	गिदे ग्वालियर	जमाहर	959	0.0310
407	रामचंद्र पुत्र धन्सुन्दर/रामप्यारी पुत्री परमाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	960	0.6370
408	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा	गिदे ग्वालियर	जमाहर	961	0.0210
409	अवतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	962/1/1	0.8652
410	धर्मवीर सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	962/1/2	
411	मेवा राम पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	962/2/1	
412	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	962/2/2	
413	रामबेरी, भारती पुत्री हातमासिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	962/2/3	
414	अवतार सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जमाहर	963/1	0.0382
415	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिदे ग्वालियर	जमाहर	963/2/1	



416	कोमल सिंह पुत्र परसराम	गिद ग्वालियर	जमाहर	963/2/2	
417	शासकीय	गिद ग्वालियर	जमाहर	963/2/3	
418	कान्तिप्रशाद, काशी पुत्र कुंजी लाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	964	0.7520
419	घासीराम पुत्र फेरन सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	965/1	0.2100
420	अजमेर सिंह, कप्तान सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	965/2	0.1140
421	धमेवीर सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	965/3	0.3760
422	शिवदेवी पुत्री घासीराम	गिद ग्वालियर	जमाहर	965/4/1	0.1360
423	शासकीय	गिद ग्वालियर	जमाहर	965/4/2	0.2400
424	मोतीराम पुत्र ढालासिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	965/5	0.4280
425	केशरबाई, अनीता पुत्री नारायण सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	966	0.0210
426	कान्तिप्रशाद, काशी पुत्र कुंजी लाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	967	1.3060
427	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिद ग्वालियर	जमाहर	968	0.0310
428	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिद ग्वालियर	जमाहर	969	0.0630
429	पूरण सिंह पुत्र फूल सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	970	0.9610
430	वीर सिंह पुत्र नथी सिंह/रामसहाय पुत्र छोटलाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	971	0.2930
431	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिद ग्वालियर	जमाहर	972	0.1250
432	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिद ग्वालियर	जमाहर	973	0.0100
433	भरासी, कलावती पुत्री रामसिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	974/1	0.0520
434	रामभरासी पुत्र रामसिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	974/2	0.1050
435	रमेश पुत्र भगवानलाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	974/3	0.0720
436	रामसेवक पुत्र भगवानलाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	974/4	0.0530
437	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिद ग्वालियर	जमाहर	975	0.0210
438	भागवती पुत्री मोहन सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	976/1	0.3110
439	रामभरासी पुत्र रामसिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	976/2	0.2060
440	केशरबाई, अनीता पुत्री नारायण सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	976/3	0.1480
441	रूपसिंह पुत्र भगवानलाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	976/4	0.1680
442	रामसेवक पुत्र भगवानलाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	976/5	0.1160
443	रमेश पुत्र भगवानलाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	976/6	0.0960
444	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिद ग्वालियर	जमाहर	977	0.0100
445	भागवती, सीताराम पुत्र फेरन सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	978/1	0.2460
446	घासी राम पुत्र फेरन सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	978/2	0.6000
447	केशव शर्मा, संदीप शर्मा पुत्र आमप्रकाश शर्मा	गिद ग्वालियर	जमाहर	979	0.4246
448	महेश पुत्र रामदीन/रामदुलारे, बनवारी पुत्र पंचम सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	980	1.0231
449	रामप्रकाश, रामनरेश पुत्र देवीसिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	981	0.4700
450	सुधर सिंह पुत्र रामसिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	982	0.4910
451	भागवती, वीरसिंह पुत्र खेमराज सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	983/1	0.1460
452	मिथला, पृथ्वी राज पुत्र देव सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	983/2	0.4290
453	मिथला, पृथ्वी राज पुत्र देव सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	984/1	1.1810
454	मिथला, पृथ्वी राज पुत्र देव सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	984/2	0.0210
455	मिथला, पृथ्वी राज पुत्र देव सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	985	0.0420
456	वीरसिंह पुत्र नथी सिंह/धारा सिंह पुत्र सुधर सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	986	0.5430
457	धरमवीर सिंह पुत्र छोटलाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	987/1	0.2870
458	सुधर सिंह पुत्र रामचरण/बुद्धासिंह पुत्र छोटलाल	गिद ग्वालियर	जमाहर	987/2	0.2930
459	सीमा पुत्री खाली/केशवती पुत्री मधुसिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	988	0.5330
460	भागवती, वीरसिंह पुत्र खेमराज सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	989	0.1570
461	भागवती, वीरसिंह पुत्र खेमराज सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	990/1	0.4490
462	सार्धकेशन पुत्र मृगाराम	गिद ग्वालियर	जमाहर	990/2	0.4390
463	पारवती, गनपत पुत्र श्रीराम	गिद ग्वालियर	जमाहर	991	0.9930
464	रामप्रकाश, रामनरेश पुत्र देवीसिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	992/1	
465	रामप्रकाशसिंह पुत्र देवीसिंह/धारासिंह पुत्र सुधर सिंह	गिद ग्वालियर	जमाहर	992/2	1.4834
466	महेंद्र सिंह यादव पुत्र रूप सिंह यादव	गिद ग्वालियर	जलालपुर	40/1	
467	श्रीमती राधा बाई पत्नी प्रेमसिंह यादव	गिद ग्वालियर	जलालपुर	40/2	0.0331
468	श्रीमती हेमलता यादव पत्नी सोबरन सिंह यादव	गिद ग्वालियर	जलालपुर	40/3	
469	श्रीमती हेमलता यादव पत्नी सोबरन सिंह यादव	गिद ग्वालियर	जलालपुर	44	0.2930
470	कमल सिंह पुत्र अछि सिंह	गिद ग्वालियर	जलालपुर	45	0.1050
471	कमल सिंह पुत्र अछि सिंह	गिद ग्वालियर	जलालपुर	46	0.0210
472	कमल सिंह पुत्र अछि सिंह	गिद ग्वालियर	जलालपुर	47	0.0840
473	शासकीय	गिद ग्वालियर	जलालपुर	48	0.0775
474	रघुवीर सिंह, प्रताप पुत्र सीताराम	गिद ग्वालियर	जलालपुर	51	0.3686
475	भगतान सिंह, पुत्र धनीराम	गिद ग्वालियर	जलालपुर	52	0.0940
476		गिद ग्वालियर	जलालपुर	53	0.0507
477	लच्छीराम पुत्र अछि सिंह	गिद ग्वालियर	जलालपुर	54	0.0346
478	हवालदार सिंह पुत्र हरदेव सिंह	गिद ग्वालियर	जलालपुर	88	0.3479

479	हवालदार सिंह पुत्र हरदेव सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	89	0.1780
480	हवालदार सिंह पुत्र हरदेव सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	90	0.0210
481	केदार सिंह पुत्र हवालदार सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	91	0.1780
482	नोरूपुत्र परमल सिंह/जबर सिंह पुत्र जगदीश सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	92	0.9510
483	रामकरन पुत्र कुवर पाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	93	0.2610
484	कुलदीप सिंह पुत्र कुलवंत सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	94	0.6170
485	रामरती पुत्री रूप सिंह/हकुम सिंह पुत्र काशीराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	95/1	0.3314
486	आमप्रकाश पुत्र विजय सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	95/2	
487	मथुराबाई कुसुम, अर्नाता पुत्री गुलाब सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	97	0.3348
488	कोशल किशोर पुत्र शिवचरन लाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	101	0.1105
489	कोशल किशोर पुत्र शिवचरन लाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	102	0.3845
490	सुरेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	103	0.8460
491	मंगल सिंह पुत्र खुमान सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	104	0.5640
492	मंगल सिंह पुत्र खुमान सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	105	0.0420
493	सोल्वेन्दकोर बेवा राजेन्द्र सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	106/1	0.4180
494	कुलवंतकोर पत्नी अमरीक सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	106/2	0.2090
495	अमरीकसिंह पुत्र दर्शन सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	106/3	0.1990
496	डांगर सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	107	0.0940
497	सुधर सिंह पुत्र करण सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	108	0.1050
498	छोटे सिंह पुत्र लाला राम/कुवर देव पुत्र लल्ला राम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	109	0.0730
499	रघुवीर सिंह, पूरण सिंह पुत्र सीताराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	110	0.7520
500	रघुवीर सिंह, पूरण सिंह पुत्र सीताराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	111	0.7210
501	मंगल सिंह पुत्र खुमान सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	112	0.0420
502	देवीलाल पुत्र बालमुकुन्द	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	113	0.2935
503	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	114/1	0.2452
504	देवीलाल पुत्र बालमुकुन्द	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	114/2	
505	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	114/3	
506	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	115/1	0.0940
507	जबर सिंह, रविन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	115/2/1	0.0210
508	ज्ञान सिंह, सुधर सिंह पुत्र रामचरन	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	115/2/2	0.0210
509	पारो बाई बेवा गुलाब सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	115/2/3	0.0310
510	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	115/3	0.0310
511	सोल्वेन्दकोर बेवा राजेन्द्र सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	116	0.4700
512	मनजीतगिल पुत्र अमरजीत सिंह गिल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	117	0.1050
513	मनजीतगिल पुत्र अमरजीत सिंह गिल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	118	0.1570
514	छोटे सिंह पुत्र लाला राम/कुवर देव पुत्र लल्ला राम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	119	0.3660
515	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	120	0.1360
516	जयेंद्र सिंह पुत्र बाबु लाल कुशवाह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	121	0.5020
517	अमरजीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	122	0.6060
518	सुरेश पुत्र बद्रौ	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	123	0.5960
519	पारो बाई बेवा गुलाब सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	124	0.3870
520	परमजीतकोर पत्नी हरजीत सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	125	0.1460
521	सोल्वेन्दकोर बेवा राजेन्द्र सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	126	0.8150
522		गिदे ग्वालियर	जलालपुर	127	0.0000
523	बिंदल देव मींदेर चरीटबल ट्रस्ट	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	128/1	0.0140
524	सोल्वेन्दकोर बेवा राजेन्द्र सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	128/2	0.2470
525	फेरनासिंह पुत्र हरदेव सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	128/429	0.0100
526	होरालाल पुत्र धनैराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	129	0.1481
527	बादाम, रामचरन पुत्र झल्लो	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	130	0.1623
528	देवी सिंह, अमरसिंह पुत्र भगवान लाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	131	0.0310
529		गिदे ग्वालियर	जलालपुर	132	0.4170
530	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	133	0.2820
531	अनवर खान, जलाल खान पुत्र बसीर खान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	134	0.0630
532	वाहिद खान, आहशान खान पुत्र बसीर खान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	135	0.2090
533	देवेन्द्र सिंह, रवि पुत्र अजुन सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	136	0.1780
534	देवेन्द्र सिंह, रवि पुत्र अजुन सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	137	0.0210
535	पंचम सिंह, निरपत सिंह पुत्र राम सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	138	0.2820
536	वाहिद खान, आहशान खान पुत्र बसीर खान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	139	0.0840
537	सुधर सिंह यादव पुत्र करण सिंह यादव	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	140	0.2190
538	प्रताप सिंह पुत्र ज्योति राम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	141	0.1150
539	श्रीमती गिरजा देवी पाते राजेन्द्र सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	142	0.5540
540	प्रताप सिंह पुत्र ज्योति राम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	143/1	0.3970
541	भगवान सिंह पुत्र धनैराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	143/2	0.3970

542	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	144	0.4280
543	भगवान सिंह पुत्र धनिराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	145/1	0.1470
544	कमल सिंह पुत्र ओछासिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	145/2	0.0520
545	खुबी पुत्र खच्छु	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	146/1	0.1770
546	नरेन्द्रासिंह पुत्र तोताराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	146/2	0.1780
547	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	146/430	0.0210
548	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	147	0.2479
549	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	148	0.2610
550	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	149	0.3550
551	भगवान सिंह, गोपाल सिंह पुत्र वृन्दावन	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	150	0.3760
552	राजेंद्र सिंह पुत्र माया राम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	151	0.0210
553	राजेंद्र सिंह पुत्र माया राम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	152	0.5020
554	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	153/1/1	0.7030
555	हरजोत सिंह पुत्र साधुसिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	153/1/2	0.0600
556	साल्वेन्दकोर बेवा राजेंद्र सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	153/2/1	0.7110
557	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	153/2/2	0.0520
558	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	154	0.2930
559	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	155	0.1780
560	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	156	0.2559
561	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	157	0.2090
562	अमरजोत पुत्र हरदयाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	158/1	0.1570
563	अमरजोत पुत्र हरदयाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	158/2	0.6270
564	अमरजोत पुत्र हरदयाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	159/1	0.1500
565	अनवर खान, जलाल खान पुत्र बसौर खान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	159/2	0.1570
566	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	160	0.1780
567	अमरजोत पुत्र हरदयाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	161/1	0.1360
568	हबीब खान पुत्र इरफान खान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	161/2	0.2190
569	हबीब खान पुत्र इरफान खान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	162	0.8460
570	गुरमीत सिंहपुत्र दर्शन सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	204/1	
571	गुरमीत सिंहपुत्र दर्शन सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	204/2	0.1343
572	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	206	0.1460
573	जगमोहन, नारायण सिंह पुत्र बाबु सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	207	0.4080
574	रामबरनसिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	208/1	0.0600
575	घनश्याम पुत्र देवी	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	208/2	0.1750
576	सोनम राय पुत्री श्रीमति दीपमाला राय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	208/3	0.1750
577	शारिती देवी बेवा रामदयाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	208/4	0.1750
578	जसकरन पुत्र अमरजोत गिल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	210/1	0.1734
579	बिशन सिंह बेस पुत्र रामप्रकाश बेस	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	210/2	0.2245
580	गोपाल पुत्र प्रताप सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	219	0.1055
581	सरनाम सिंह पुत्र राजाराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	220	0.0852
582	जयदेवी पत्नी बाबु लाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	221	0.2262
583	सरनाम सिंह पुत्र राजाराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	222	0.0630
584	गोविन्द सिंह, जयसिंह पुत्र छोटेसिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	223/1	0.4180
585	सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	223/2	0.3420
586	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	223/3	0.0860
587	डांगर सिंह, कप्तानसिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	224	0.0520
588	जसकरन पुत्र अमरजोत गिल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	225/1/1	0.0210
589	अमरजोत पुत्र हरदयाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	225/1/2	0.2930
590		गिदे ग्वालियर	जलालपुर	225/2	0.1250
591	रामबरन सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	226	0.0210
592	कप्तान सिंह पुत्र मोहनलाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	227/1	0.3860
593	सावित्री, अमर सिंह पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	227/2	0.3870
594	मूकेश, नरेश पुत्र हराराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	228/1	0.3140
595	सावित्री, अमर सिंह पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	228/2	0.2610
596	रामबरनसिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	228/3	0.0940
597	बाबु सिंह पुत्र लाला राम /बदनसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	229	0.1570
598	बाबु सिंह पुत्र लाला राम /बदनसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	230	0.9610
599	मीरा बाई, भूरी बाई पुत्री लक्ष्मण सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	231	0.0120
600	सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	232	0.1780
601		गिदे ग्वालियर	जलालपुर	233	0.0000
602		गिदे ग्वालियर	जलालपुर	234	0.0000
603	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	235/1	0.5760
604	सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	235/2	0.0200

605		गिदे ग्वालियर	जलालपुर	236	0.5750
606	सुरेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	237	0.4700
607	सुरेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	238	0.2090
608	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	239	0.4910
609	साल्वेन्दकार बेवा राजेन्द्र सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	240/1	0.4500
610	कमलजीत पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	240/2	0.2190
611	अमरीक सिंह पुत्र दर्शन सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	240/3	0.2300
612	विन्दावन सिंह पुत्र भगाना	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	241/1	0.4390
613	सुरेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	241/2	0.4180
614	अनवर खान, जलाल खान पुत्र बसीर खान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	242	0.1050
615	गफफार खान, सहेद खान पुत्र बसीर खान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	243	0.1360
616	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	244	0.0630
617	सुरेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	245	0.5020
618	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	246	0.0940
619	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	247	0.0940
620	सुरेश कुमार पुत्र देवी दयाल श्रीवास्तव	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	248	0.1732
621	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	249	0.0840
622	कोशल किशोर पुत्र शिवचरनलाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	250	0.4700
623	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	251	0.2610
624	अनवर खान, जलाल खान पुत्र बसीर खान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	252	1.0760
625	हरचरण, सुरजीत सिंह पुत्र साधु सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	253	0.0940
626	हिरा लाल पुत्र धनेराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	254	0.2610
627	हिरा लाल पुत्र धनेराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	255	0.5430
628	हिरा लाल पुत्र धनेराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	256	0.5430
629	शासकीय	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	257	0.2204
630	मोहनलाल पुत्र प्यारेलाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	258	0.0100
631	राय सिंह, बालाकेशन पुत्र रामरतन	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	260	0.2381
632	राय सिंह, बालाकेशन पुत्र रामरतन	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	261	0.1352
633	डोंगरसिंह, कप्तान सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	262	0.3450
634	डोंगरसिंह, कप्तान सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	263	0.3030
635	डोंगरसिंह, कप्तान सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	264	0.1570
636	डोंगरसिंह, कप्तान सिंह पुत्र मंगल सिंह	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	265/1	0.1050
637	मोहनलाल पुत्र प्यारेलाल	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	265/2	0.1050
638	अमरीक सिंह पुत्र रामरतन	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	266/1	0.0100
639	हरिराम पुत्र गनशा	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	266/2	0.0100
640	हरिराम पुत्र गनशा	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	267	0.5540
641	आभषेक, सोनाली पुत्री सुग्रीव	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	268	0.3450
642	आभषेक, सोनाली पुत्री सुग्रीव	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	269	0.4810
643		गिदे ग्वालियर	जलालपुर	271	0.0000
644	किल्ला, मंगलिया पुत्र खुमान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	272	0.2767
645	किल्ला, मंगलिया पुत्र खुमान	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	273	0.1570
646	भगवान सिंह पुत्र धनीराम	गिदे ग्वालियर	जलालपुर	274	0.0269
647	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	115/1	
648	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	115/2	0.0073
649	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	115/3	
650	श्रीमती चर्मली पत्नी रामसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	116/1	
651	विजयराम पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	116/2	
652	सोनाराम पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	116/3	
653	अजुन पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	116/4	0.4442
654	उत्तमसिंह पुत्र सियाप्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	116/5/1	
655	पूरण पुत्र सियाप्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	116/5/2	
656	बलवीर सिंह पुत्र सियाप्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	116/5/3	
657	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	117	0.0420
658	नारायणीवाई, रमेश पुत्र पत्रालाल	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	118/1	0.2190
659	बद्रीप्रसाद पुत्र मोहनसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	118/2	0.2190
660	रामस्वरूप पुत्र मोहनसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	118/3	0.2190
661	रामवाई पुत्री प्रीतम सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	110/4	0.2190
662	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	119	0.0520
663	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	120	0.0420
664	जेनाडवलपरप्राइवेटलीमिटेड डायरेक्टर मुकेश जैन	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	121/1	0.1460
665		गिदे ग्वालियर	मालनपुर	121/2	0.1470
666	कामल सिंह पुत्र रामस्वरूप	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	122	0.2720
667	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	123	0.1670

668	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	124	0.1780
669	सुरेन्द्र सिंह, नन्दाकेशोर पुत्र कदम सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	125/1	0.1780
670	रतीराम पुत्र गोरिलाल	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	125/2	0.1670
671	सुरेन्द्र सिंह, नन्दाकेशोर पुत्र कदम सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	126/1/1	0.1570
672	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	126/1/2	0.1150
673	रतीराम पुत्र गोरिलाल	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	126/1/3	0.0420
674	रतीराम पुत्र गोरिलाल	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	126/2	0.0520
675	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	127/1	0.0840
676	रामबाई पत्नी प्रीतम सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	127/2	0.1460
677	अमरसिंह पुत्र रामस्वरूप	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	128	0.1150
678	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	129	0.0840
679	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	130/1	0.0210
680	बदनासिंह, मूगाराम पुत्र नारायण सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	130/2	0.0100
681	रामस्वरूप पुत्र खरगजीत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	130/3	0.0100
682	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	131/1	0.1050
683	बदनासिंह, मूगाराम पुत्र नारायण सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	131/2	0.1250
684	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	132/1	0.0520
685	बदनासिंह, मूगाराम पुत्र नारायण सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	132/2	0.0630
686	रामओतारसिंह पुत्र बेदीसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	132/3	0.1880
687	फेरनासिंह पुत्र खरगजीत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	132/4	0.1880
688	रामस्वरूप पुत्र खरगजीत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	132/5	0.1880
689	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	133	0.0420
690	बदनासिंह, मूगाराम पुत्र नारायण सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	134	0.0520
691	रामस्वरूप पुत्र खरगजीत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	135	0.0730
692	रामसेवक, घनश्याम पुत्र गोकुलप्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	136	0.4810
693	रामेश्वर पुत्र ओछीसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	137	0.7420
694	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	138	0.0210
695	रामसेवक, घनश्याम पुत्र गोकुलप्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	139	0.4390
696	रामसेवक, घनश्याम पुत्र गोकुलप्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	140	0.0210
697	रतीराम पुत्र गोरिलाल	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	141	0.7840
698	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	142/1	0.0520
699	किशनकुमार पुत्र कप्तानसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	142/2/1	0.2190
700	बचनासिंह पुत्र कप्तान सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	142/2/2	0.2200
701	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	143/1	0.0520
702	ब्रजसिंह पुत्र गापाल सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	143/2/1	0.5480
703	रामबेटा पत्नी गापाल सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	143/2/2	0.0890
704	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	144	0.1250
705	सुरेन्द्र सिंह, नन्दाकेशोर पुत्र कदम सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	145/1	0.2090
706	रामेश्वर पुत्र ओछीसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	145/2	0.2090
707	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	146	0.0100
708	जनकसिंहपुत्र खच्चूसिंह/विक्रमसिंह यादव पुत्र दाताराम	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	147	0.4390
709	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	148	0.2510
710	बलवीरसिंह पुत्र सियाराम	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	149	0.1250
711	बलवीरसिंह पुत्र सियाराम	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	150	0.1477
712	सरनामसिंह, भूरीसिंह पुत्र कालीचरन	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	151	0.1153
713	दुर्गाप्रसाद, प्रतापसिंह पुत्र महाराजसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	155	0.3158
714	चतुरसिंह पुत्र खच्चूराम	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	156	0.3312
715	रामबेटा पत्नी गापाल सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	157	0.0420
716	बदनासिंह, मूगाराम पुत्र नारायण सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	158/1	0.0730
717	रामओतारसिंह पुत्र बेदीसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	158/2	0.0730
718	फेरनासिंह पुत्र खरगजीत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	158/3	0.0730
719	रामस्वरूप पुत्र खरगजीत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	158/4	0.0730
720	दिनेश, आशादेवी, बल्लौ पुत्र रामभरोस	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	159/1	0.3450
721	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	159/2	0.2300
722	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	160	0.0730
723	रागतुलारी पत्नी जगदीशारोह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	161	0.2076
724	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	169/1	0.0591
725	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	169/2	0.0591
726	जगदीशसिंह पुत्र सियाप्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	175/1	0.2157
727	सुधरसिंह पुत्र सियाप्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	175/2	0.2157
728	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	176/1/1	0.2157
729	मूसावित्री पत्नी शिवनारायण	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	176/1/2	0.2157

730	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	176/2/1	0.7110
731	गोपालसिंहपुत्र विन्द्रावन/लाखनसिंह पुत्र भगवानलाल	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	176/2/2	
732	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	177	1.0660
733	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	178	0.7110
734	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	179	0.7420
735	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	180	0.7840
736	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	181	0.0100
737	सुरेन्द्र सिंह, नदाकेशोर पुत्र कदम सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	186	0.1499
738	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	188	0.1421
739	बदन सिंह, मुंगा राम पुत्र नारायण सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	189/1	0.1250
740	रामओतार सिंह पुत्र बंदा सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	189/2	0.1250
741	फेरनसिंह पुत्र खरगजोत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	189/3	0.3550
742	रामस्वरूप पुत्र खरगजोत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	189/4	0.1050
743	जसवंत नोमी सिंह पुत्र नारायण सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	190/1	0.1050
744	फेरनसिंह पुत्र खरगजोत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	190/2	0.1150
745	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	191	0.3340
746	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	192	0.1050
747	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	193	0.1050
748	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	194	0.0100
749	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	195	0.0520
750	सांशुल्लादेवी पत्नी जसवंत सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	196	0.0840
751	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	197/1	0.0940
752	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	197/2	0.0940
753	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	197/3/1	0.0850
754	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	197/3/2	0.0090
755	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	197/4	0.0940
756	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	198	0.1670
757	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	199/1	0.0310
758	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	199/2	0.0310
759	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	199/3	0.0310
760	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	199/4	0.0420
761	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	200	0.6060
762	कलावती, दुर्गा प्रसाद पुत्र महाराज सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	201	0.3140
763	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	202	0.1250
764	भीखा सिंह पुत्र केशना	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	203	0.4280
765	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	204	1.1700
766	विजयराम पुत्र राम सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	205/1	0.3240
767	सोनेराम पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	205/2	0.1250
768	अर्जुन पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	205/3	0.3240
769	जगदीश सिंह पुत्र सिया प्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	206	0.1360
770	श्रीमतीचमेली, श्रीमती मुन्नी पुत्री रामसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	207/1	0.1040
771	सोनेराम पुत्र रामसिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	207/2	0.1050
772	उत्तमसिंह पुत्र सिया प्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	207/3/1	0.0420
773	जगदीश सिंह पुत्र सिया प्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	207/3/2	0.1670
774	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	208	0.0420
775	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	209	0.1570
776	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	210	0.1990
777	मख्खनसिंह पुत्र कप्तान सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	211	0.1880
778	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	212	0.0730
779	सुधर सिंह पुत्र सिया प्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	213	0.2300
780	सुधर सिंह पुत्र सिया प्रसाद	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	214	0.0630
781	रामबेटी पत्नी गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	215	0.3550
782	भगवान सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	216	0.2400
783	भगवान सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	217	0.4910
784	भगवान सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	218	0.0100
785	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	219	0.0310
786	भगवान सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	220	0.0100
787	रागबेटी पत्नी गोपाल सिंह	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	221	0.1140
788	सरनाम सिंह, भूरे सिंह पुत्र कालीचरण	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	222	0.0421
789	सरनाम सिंह, भूरे सिंह पुत्र कालीचरण	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	223	0.0032
790	फेरनसिंह पुत्र खरगजोत	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	238	0.2510
791	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	239	0.0871
792	शासकीय	गिदे ग्वालियर	मालनपुर	240	0.1250

793	रामकली, सोनू पुत्र मायाराम	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	241	0.2610
794	आशादेवी, दिनेश पुत्र रामभरोसे	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	242	0.0100
795	रामपाल, दोलातिया पुत्र देवीराम	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	243	0.2330
796	शासकीय	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	244	0.0420
797	नेतराम, कन्हाई पुत्र गौरी	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	245	0.0520
798	शासकीय	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	246/1	0.2000
799	रामपाल, दोलातिया पुत्र देवीराम	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	246/2	0.0510
800	शासकीय	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	247	0.4180
801	चतुर सिंह पुत्र खच्चुराम	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	248/1	0.2090
802	विनोद, भारत पुत्र लालासिंह	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	248/2	0.7840
803	शासकीय	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	249	0.1570
804	रघुवर पुत्र बेदो सिंह	गिदं ग्वालियर	मालनपुर	250	0.0828
805	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	445	0.0325
806	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	446	0.0153
807	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	451	0.0762
808	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	452	0.1500
809	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	453	0.0310
810	महेंद्र सिंह, जनक सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	454/1	0.8050
811	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	454/2	0.2090
812	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	455	0.0940
813	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	456	0.0520
814	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	457	0.0210
815	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	458	0.1360
816	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	459	0.5200
817	पायल यादव, दिब्यास यादव पुत्र सिकंदर यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	460	0.3837
818	उदल सिंह यादव, सगुन कमारेया पुत्र अजुन सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	461	0.7057
819	उदल सिंह यादव पुत्र अजुन सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	462	0.3095
820	वीरासिंह, मचल सिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	468	0.1537
821	वीरासिंह, मचल सिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	469/1/1	0.0792
822	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	469/1/2	
823	फूल सिंह पुत्र बिशन सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	469/2	
824	नोमी सिंह पुत्र फूल सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	469/3	
825	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	469/4	0.0959
826	नौरज पुत्र मलखान	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	476/1/1	
827	दशरथ सिंह पुत्र फोदल सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	476/1/2	
828	बादाम पुत्र जगरनाथ सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	476/2/1	
829	फूल सिंह पुत्र बिशन सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	476/2/2	0.9949
830	पूरषोत्तम, सुमेरा पुत्र मातीराम	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	477/1	
831	पूरषोत्तम, सुमेरा पुत्र मातीराम	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	477/2	
832	वीरासिंह, मचल सिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	477/3	
833	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	478	0.0520
834	गीता, कुसुम पुत्री हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	479	0.4080
835	मन्त्री बाई, रिकू गोड़ पुत्र ओमप्रकाश गोड़	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	480/1	0.9371
836	बाबूलाल, पुत्र पन्ना लाल	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	480/2	
837	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	481	0.3585
838	हेमंत सिंह पुत्र मुलायम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	483/1	0.3420
839	रमेश्वरदयाल पुत्र हबेलास राठौर	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	483/2	0.3410
840	लखन सिंह पुत्र हरनाम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	483/3	0.3410
841	हाकिम सिंह पुत्र मन्त्री	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	484/1	0.3254
842	उत्तमासिंह पुत्र किसना	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	484/2	
843	उत्तमासिंह पुत्र किसना	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	485	0.0310
844	उत्तमासिंह पुत्र किसना	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	486	0.1614
845	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	488	0.1126
846	रामस्वरूप, लक्ष्मीनारायण पुत्र चौमा	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	490	0.0198
847	विनोद सिंह तोमर पुत्र रामरूप सिंह तोमर	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	502	0.1586
848	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	503	0.0080
849	रामकेश, मुनेश पुत्र आदीराम	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	506/1	0.1462
850	कमलेश जाटव पुत्र रामवीर जाटव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	506/2	
851	कल्पना शिवहरे पत्नी रामस्वरूप शिवहरे	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	506/3	
852	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	518	0.0172
853	रज्ज, बालकेशन पुत्र शंकर	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	519	0.1257
854	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	521	0.0264
855	हाकिम सिंह पुत्र मन्त्री	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	528/1	0.0800

856	नेतराम पुत्र मन्त्री	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	528/2	0.0000
857	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	533	0.2207
858	शिव सिंह यादव पुत्र दामोदर सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	534/1	0.1592
859	जगदीश कुमार धाकड़ पुत्र जसवत सिंह धाकड़	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	534/2	0.0210
860	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	535	0.0210
861	शिव सिंह यादव पुत्र दामोदर सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	536/1/1	0.4470
862	अनिल छारी पुत्र गयादीनछारी	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	536/1/2	0.4470
863	गीता, पत्नी अजुन सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	536/2	0.0450
864	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	616	0.0450
865	श्रीमती सीमादेवी यादव पत्नी रामेश्वर सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	618/1	0.1483
866	श्रीमती सीमादेवी यादव पत्नी रामेश्वर सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	618/2	0.1483
867	श्रीमती सीमादेवी यादव पत्नी रामेश्वर सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	618/3	0.1483
868	श्रीमती सीमादेवी यादव पत्नी रामेश्वर सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	618/4	0.1483
869	श्रीमती सीमादेवी यादव पत्नी रामेश्वर सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	619	0.0210
870	श्रीमती सीमादेवी यादव पत्नी रामेश्वर सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	620	0.0130
871	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	621	0.0879
872	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	622	0.0397
873	वीरन्द्रसिंह पुत्र उमराव सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	640	0.0820
874	हरीसिंह पुत्र लोकेश्वर सिंह/अमरसिंह पुत्र महाराज सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	641/1	0.0403
875	वकतावरसिंह पुत्र करनल सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	641/2	0.0403
876	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	642	0.0061
877	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	643	0.0730
878	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	644	0.0310
879	रामबाबू पुत्र उमराव सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	645	0.8333
880	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	646	0.0520
881	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	650	0.0488
882	रामबाबू पुत्र उमराव सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	651/1	0.5009
883	हरचरण सिंह पुत्र उमराव सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	651/2	0.5009
884	रामबाबू पुत्र उमराव सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	654/1/1	0.6089
885	रामबाबू पुत्र उमराव सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	654/1/2	0.6089
886	सुरेन्द्रसिंह राठौर पुत्र रामसिंह राठौर	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	654/2	0.6089
887	प्रकाश, मोहनसिंह पुत्र दयाराम	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	655	0.0310
888	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	656	0.0520
889	कदम सिंह, रघुवीर पुत्र कल्लू	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	657	0.5230
890	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	658	0.0520
891	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	659	0.5020
892	मनदीपसिंह पुत्र हरवश सिंह सधू	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	660/1	0.5120
893	गुरुप्रीतसिंह सधू पुत्र हरवश सिंह सधू	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	660/2/1	0.4180
894	गुरुप्रीतसिंह सधू पुत्र हरवश सिंह सधू	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	660/2/2	0.4180
895	मनदीपसिंह पुत्र हरवश सिंह सधू	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	660/3	0.5020
896	हरीसिंह पुत्र लोकेश्वर सिंह/अमरसिंह पुत्र महाराज सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	661	0.4289
897	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	665	0.1234
898	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	668	0.5068
899	राजकुमारसिंह यादव पुत्र अमरसिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	669/1	1.1724
900	प्रमोदयादव, योगेश्वर सिंह यादव पुत्र भवर सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	669/2	1.1724
901	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	670	0.0100
902	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	671	0.1354
903	गुरुप्रीतसिंह सधू पुत्र हरवश सिंह सधू	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	672	0.1360
904	सुकेशकुमार प्रजापति पुत्र रामदीन प्रजापति	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	673	0.0210
905	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	674	0.1360
906	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	675	0.0210
907	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	676	0.0210
908	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	677	0.0210
909	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	678	0.0420
910	आमोसिंह, दामोदर पुत्र नारायण सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	679/1	0.0420
911	सुधरसिंह, सुंदरसिंह पुत्र खुर्वीसिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	679/2	0.0420
912	सहाबसिंह, आमप्रकाशसिंह पुत्र छत्रपालसिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	680/1	0.3450
913	सुधरसिंह, सुंदरसिंह पुत्र खुर्वीसिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	680/7	0.1990
914	रोचन्द्र, राजेन्द्र पुत्र रामगोपाल	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	680/3	0.1990
915	केशकाले, राघवेंद्र पुत्र प्रतापसिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	680/4	0.1990
916	शासकीय	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	681	0.0100
917	रोचन्द्रसिंह यादव पुत्र हकूम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	682	1.2540
918	रोचन्द्रसिंह यादव पुत्र हकूम सिंह	गिदं ग्वालियर	गंगापुर	683	0.0310



919	बेतालसिंह, सुरेश पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	684/1	0.1990
920	बहादुर, बल्लो पुत्र उत्तम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	684/2	0.1980
921	रविन्द्रसिंह यादव पुत्र हुकुम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	685	0.0420
922	हजारीलाल पुत्र हरप्रसाद	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	686/1	0.1050
923	श्यामलाल पुत्र मवासी	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	686/2	0.1050
924	कमलसिंह, नारायण सिंह पुत्र किशन लाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	686/3	0.1050
925	गोविन्द सिंह, भूरा पुत्र जीवन लाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	686/4	0.1150
926	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	687/1/1	0.3550
927	पंचम सिंह, जसवंतसिंह पुत्र हुकुम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	687/1/2	0.8470
928	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	687/2	1.2020
929	उदलसिंह पुत्र अजुनीसिंह/तुलसी राम पुत्र कालीचरण	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	688	0.5230
930	उदलसिंह पुत्र अजुनीसिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	689	0.0210
931	उदलसिंह पुत्र अजुनीसिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	690	0.2300
932	रविन्द्रसिंह यादव पुत्र हुकुम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	691	0.1150
933	गोराबाई, महेंद्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	692	0.1460
934	फूल सिंह पुत्र बिशन सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	693/1	0.3240
935	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	693/2	0.3240
936	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	694	0.0100
937	बाबू लाल पुत्र पन्नालाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	695/1	0.4800
938	संजीवयादव पुत्र ओमप्रकाश यादव	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	695/2	0.4190
939	संजीवयादव पुत्र ओमप्रकाश यादव	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	696	0.0100
940	मातादीन, वलराम पुत्र भागीरथ	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	697	1.0870
941	कदम सिंह, रघुवीर पुत्र कल्लू	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	698	0.2930
942	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	699	0.0210
943	रामदुलारेजाटव पुत्र भागीरथ जाटव	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	700/1	0.0751
944	गजेंद्रसिंह यादव पुत्र लाखनसिंह यादव	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	700/2	0.0960
945	मनीषअग्रवाल पुत्र मुरली अग्रवाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	700/4	0.0575
946	मनीषअग्रवाल पुत्र मुरली अग्रवाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	700/5	0.0400
947	पार्वती पत्नी लाखन सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	700/6	0.1070
948	गजेंद्रसिंह यादव पुत्र लाखनसिंह यादव	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	700/7	0.2090
949	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	701/1	0.0520
950	मातादीन, वलराम पुत्र भागीरथ	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	701/2	0.1570
951	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	702	0.2820
952	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	703	0.0940
953	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	704	0.6580
954	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	705	0.0100
955	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	706	0.2510
956	वर्षासाहू पत्नी नीरज साहू	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	708/3/1	
957	शिवमराजपुत्र पुत्र नीरज सिंह राजपुत्र	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	708/3/2	0.0723
958	रामकुमारसिंगर पुत्र केहरी सिंह सिंगर	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	708/3/3	
959	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	715	0.0839
960	रामप्रसाद पुत्र प्यारेलाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	719	0.1990
961	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	720	0.0445
962	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	721	0.1360
963	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	722	0.0310
964	सुघरसिंह पुत्र बद्री सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	723	0.2090
965	महेंद्रसिंह यादव पुत्र सीताराम यादव	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	724	0.0420
966	मिथला, राजेंद्रसिंह पुत्र अहवरन सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	725/1	0.2300
967	बेतालसिंह, सुरेश पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	725/2	0.2400
968	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	726	0.0310
969	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	727	0.0100
970	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	728	0.0840
971	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	729	0.0210
972	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	730	0.1050
973	पूज सिंह पुत्र बिशनसिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	731/1	0.0840
974	रामवटी पुत्र गणदेव सिंह कन्वारिया	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	731/2	0.0940
975	सुंदरसिंह, विक्रमसिंह पुत्र खूबी सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	732	0.0940
976	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	733	0.0940
977	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	734	0.0310
978	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	735	0.0940
979	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	736	0.0520
980	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	737	0.1780
981	हुकुमसिंह पुत्र रामस्वरूप	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	738	0.0310

982	हकुमासह पुत्र रामस्वरूप	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	739	0.0310
983	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	740	0.2300
984	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	741	0.2090
985	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	742	0.1250
986	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	743	0.1880
987	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	744	0.0840
988	सूरज सिंह पुत्र बिशनासिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	745/1/1	0.1440
989	सूरज सिंह पुत्र बिशनासिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	745/1/2	0.0750
990	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	745/2	0.2190
991	सूरज सिंह पुत्र बिशनासिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	746/1	0.1670
992	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	746/2	0.1780
993	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	747/1	0.0310
994	सूरज सिंह पुत्र बिशनासिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	747/2	0.0420
995	शांतिबाई, वीरसिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	748	0.4180
996	आशाअग्रवाल, लवराज अग्रवाल पुत्र हरिओम अग्रवाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	749	0.4700
997	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	750	0.8050
998	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	751	0.4390
999	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	752	0.0100
1000	महेंद्रसिंह, संवाराण पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	753	0.1990
1001	सुंदरसिंह, विक्रमसिंह पुत्र खूबी सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	754	0.3140
1002	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	755	0.0609
1003	विनाद सिंह पुत्र बद्री सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	756/1	0.4180
1004	अशोकसिंह पुत्र बद्री सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	756/2/1	0.3467
1005	सुंदर सिंह पुत्र बद्री सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	756/2/2	0.7110
1006	विनाद सिंह पुत्र बद्री सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	756/2/3	0.2410
1007	बेतालासिंह, सुरेश पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	757	0.4700
1008	बहादुर, बल्लू पुत्र उत्तम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	758/1	0.2190
1009	स्वरूप यादव, रामबली यादव पुत्र प्रकाश	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	758/2	0.2200
1010	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	759	0.1150
1011	ओमिसिंह, दामोदर पुत्र नारायण	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	760/1	0.1670
1012	अजून सिंह, केशकालि पुत्र परमार सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	760/2	0.1670
1013	सुरेश, सरनामसिंह पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	761	0.0100
1014	सुरेश, सरनामसिंह पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	762/1	0.2444
1015	राजेंद्र सिंह, पप्पन सिंह पुत्र अहवरन सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	762/2	
1016	राजेंद्र सिंह, पप्पन सिंह पुत्र अहवरन सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	763	0.0198
1017	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	764	0.1485
1018	मनोज, पंकज पुत्र दामोदर प्रसाद	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	765	0.1990
1019	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	766/1	0.0420
1020	बाबूलाल, पुत्र रामचरण	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	766/2	0.0210
1021	महेंद्र सिंह, संवाराण पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	767	0.2930
1022	महेंद्र सिंह, संवाराण पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	768	0.0420
1023	बेताल सिंह, सरनाम सिंह पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	769/1	0.1560
1024	ज्ञान सिंह पुत्र बालकेशन	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	769/2	0.1050
1025	महेंद्र सिंह, संवाराण पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	770	0.1050
1026	महेंद्र सिंह, संवाराण पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	771	0.2720
1027	हिरा बाई, प्रेमा बाई पिता रामस्वरूप	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	772	0.0630
1028	सुंदर सिंह, विक्रम सिंह पुत्र खूबी सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	773	0.2820
1029	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	774	0.0210
1030	सूरज सिंह पुत्र बिशनासिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	775/1	0.1320
1031	फूल सिंह पुत्र बिशनासिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	775/2	0.1330
1032	बादाम पुत्र जगरनाथ सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	775/3	0.1320
1033	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	776	0.1880
1034	बेताल सिंह, सरनाम सिंह पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	777/1	0.1150
1035	बहादुर सिंह, बल्लू पुत्र उत्तम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	777/2	0.0630
1036	रामबली यादव, सरूपी यादव पुत्र प्रकाश	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	777/3	0.0630
1037	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	778/1	0.2930
1038	बाबूलाल पुत्र रामचरण	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	778/2	0.1050
1039	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	779	0.1360
1040	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	780	0.1670
1041	ज्ञानसिंह पुत्र बालकेशन	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	781/1	0.1880
1042	बेताल सिंह, सरनाम सिंह पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	781/2	0.1880
1043	सरदार सिंह, हकुम सिंह पुत्र रामस्वरूप	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	782	0.4490
1044	सरदार सिंह, हकुम सिंह पुत्र रामस्वरूप	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	783/1	0.5540

1045	अजुन सिंह, केशकाल पुत्र परमार सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	783/2/1	0.4180
1046	विनोद सिंह पुत्र बद्री सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	783/2/2	0.2410
1047	रविन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	784	0.1880
1048	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	785	0.0210
1049	अजुन सिंह, केशकाल पुत्र परमार सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	786	0.2510
1050	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	787	0.0210
1051	ओमोसिंह, दामोदर पुत्र नारायण	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	788/1	0.0100
1052	रविन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	788/2	0.0100
1053	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	789	0.1150
1054	ओमोसिंह, दामोदर पुत्र नारायण	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	790	0.0210
1055	ओमोसिंह, दामोदर पुत्र नारायण	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	791	0.2190
1056	ओमोसिंह, दामोदर पुत्र नारायण	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	792/1	0.0100
1057	रविन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	792/2	0.0100
1058	रविन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	793	0.2910
1059	रविन्द्र, रणजीत पुत्र रामगोपाल	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	794	0.0940
1060	हकुम सिंह पुत्र रामस्वरूप	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	795	0.1880
1061	वीर सिंह, मवल सिंह पुत्र हाकिम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	796	0.1360
1062	मनोज, पंकज पुत्र दामोदर प्रसाद	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	797	0.3240
1063	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	798	0.0310
1064	सुधरसिंह, सुदरसिंह पुत्र खुवोसिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	799/1	0.2610
1065	अजुन सिंह, केशकाल पुत्र परमार सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	799/2	0.1050
1066	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	800	0.0520
1067	बैताल सिंह, सरनाम सिंह पुत्र भगवान सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	801/1	0.1250
1068	राजद्रोसिंह, पप्पन सिंह पुत्र अहवरनासिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	801/2	0.1260
1069	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	802	0.0210
1070	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	803	0.0310
1071	निरंजन सिंह पुत्र हरनाम सिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	804	0.4390
1072	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	805	0.0310
1073	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	806	0.0630
1074	मनोज, पंकज पुत्र दामोदर प्रसाद	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	807	0.0310
1075	हिरा बाई, प्रमा बाई पिता रामस्वरूप	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	808	0.0840
1076	सूरज सिंह पुत्र बिशनसिंह	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	809/1	0.0730
1077	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	809/2	0.0730
1078	हरचरणसिंह पुत्र जगन्नाथ	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	810	0.0520
1079	रमेश पुत्र धाराजीत	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	811	0.0520
1080	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	812	0.4036
1081	मनोज, पंकज पुत्र दामोदर प्रसाद	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	813	0.1360
1082	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	814/1	0.3493
1083	बाबूलाल पुत्र रामचरण	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	814/2	
1084	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	815	0.2911
1085	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	816	0.0210
1086	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	817	0.0140
1087	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	818	0.6157
1088	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	819	0.5565
1089	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	820	1.0339
1090	शासकीय	गिदे ग्वालियर	गंगापुर	821	0.3268
1091	आकाश शिवहरे पुत्र रामस्वरूप शिवहरे	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	50	0.1134
1092	शासकीय	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	51	0.0241
1093	शासकीय	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	52	0.0206
1094	सुरेन्द्र सिंह धाकड़ पुत्र चिरोजी लाल धाकड़	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/1	0.2004
1095	उपेन्द्र सिंह परमार पुत्र सुरेश सिंह	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/2	
1096	जयप्रकाश अग्रवाल पुत्र पूरण चन्द्र अग्रवाल	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/3	
1097	प्रभा जेन पत्नी सुरेन्द्र जेन	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/4	
1098	शांथि सिंह पत्नी रामवीर सिंह तोमर	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/5	
1099	गिरीशचन्द्र, चतुर्भुज पुत्र हरीराम अग्रवाल	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/6	
1100	प्रकाश नारायण अग्रवाल	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/7	
1101	मीरा गोयल पत्नी डा. आर. बी. गोयल	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/8	
1102	शांथि सिंह पत्नी रामवीर सिंह तोमर	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/9	
1103	विजयचौडक पुत्र जयनारायण चौडक	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/1/10	
1104	रामस्वरूप शिवहरे पुत्र हरगोविंद सिंह	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/2/1/1	
1105	ओमप्रकाश, चुन्नी पुत्र बेजती	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/2/2/2	
1106	श्रीमति सोमा जादोन पत्नी नवाबसिंह जादोन	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/3	
1107	रामजीलाल पुत्र रवतीप्रसाद	गिदे ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/1	

1108	शंकर लाल पाहजा पुत्र के.आर. पाहजा	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/2	
1109	भूलाकसुंदरमोहंती पुत्र कल्लूचरनमोहंती	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/3	
1110	रशीदाखान पत्नी नाशीरखान	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/4/1	
1111	रामस्वरूप शिवहर पुत्र हरगोविंद सिंह	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/4/2	
1112	कल्पना शिवहर पत्नी रामस्वरूप शिवहर	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/4/5	
1113	अनिल राठौर पुत्र पूरण राठौर	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/5/1/1	
1114	अनिल राठौर पुत्र पूरण राठौर	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/5/1/2	
1115	कल्पना शिवहर	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/5/2	
1116	डॉ. आशुतोष द्विवेदी पुत्र शाचिन्द्र द्विवेदी	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/6	
1117	शासकीय	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	54/7	
1118	सुखराज सिंह पुत्र बलभद्र सिंह चौहान	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/1/1	
1119	श्रीमती सीमा पत्नी योगेश सिंघल	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/1/2	
1120	अनिल सिंघल पुत्र ब्रद्री प्रसाद सिंघल	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/1/3	
1121	श्रीमती सोभा जादोन पत्नी सुरेन्द्रसिंह जादोन	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/2/1	
1122	श्रीमती सोभा जादोन पत्नी सुरेन्द्रसिंह जादोन	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/2/2	
1123	सुरेन्द्र सिंह धाकड़ पुत्र चिरोजी लाल धाकड़	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/1	
1124	गुंडी पत्नी मुन्सी	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/2	0.7502
1125	महेश कुमार बत्ता पुत्र राम दिता मल बत्ता	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/3	
1126	सुनीता जेन पत्नी महेंद्र जेन	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/4	
1127	महेंद्र कुमार पुत्र नेमीचन्द्र जेन	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/5	
1128	सुनीता जेन पत्नी महेंद्र जेन	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/6	
1129	सुनीता जेन पत्नी महेंद्र जेन	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	57/3/7	
1130	सनम तोमर पत्नी शैलेन्द्र सिंह तोमर	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/1	
1131	नन्दकेशोर पुत्र सीता राम राय	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/1	
1132	अरविन्द पुत्र नारायण	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/1/2	
1133	श्रीमती कुशुमराय पत्नी महाराज सिंह राय	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/2	
1134	रामनाथ जेदल, रामनिवास जेदल पुत्र भगवान सिंह	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/3	
1135	शर्फीकन बगम पत्नी मुराद	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/4	
1136	अष्टाना पत्नी इस्लाम खान	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/5	
1137	एम. के. तिवारी पुत्र बी. पी. तिवारी	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/6	
1138	केलाश नारायण पुत्र माता	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/7	
1139	रजनी यादव पत्नी धमेन्द्र सिंह यादव	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/8	
1140	मुस्लिम खान पुत्र मुराद खान	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/9	
1141	मनोज यादव पुत्र रमेश यादव	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/10	
1142	सुरेन्द्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/11	
1143	राजेंद्र सिंह पुत्र गदालाल कमरिया	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/12	0.7614
1144	होतेओम जेदल पुत्र कालीचरण जेदल	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/13	
1145	महात्मा गांधी सेवा आश्रम जोरा	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/2/14	
1146	बनवारी लाल पुत्र बलराम	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/3/1	
1147	मिथिलेश सिंह पत्नी आर. पी. सिंह	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/3/2	
1148	संतोष गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/3/3	
1149	केलाश नारायण पुत्र सत्यराम	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/1/1	
1150	अनीता डगले पत्नी विनोद कुमार डगले	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/1/2	
1151	विजय चाडक पुत्र जय नारायण चाडक	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/2	
1152	वीणा राठौर पत्नी अजय सिंह राठौर	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/3	
1153	गर्होई दाल एंड आयल मिल लिमिटेड	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/4	
1154	अनिल कुमार गुप्ता पुत्र मुन्ना लाल गुप्ता	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/5	
1155	अनीता डगले पत्नी विनोद कुमार डगले	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	58/4/6	
1156	संगीताजादोन पत्नी रामवीर सिंह	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/2/1	
1157	रामशंकर पुत्र बाकलाल	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/2/2	
1158	गोपालदास अग्रवाल पुत्र भगवानदास	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/2/3	
1159	पवन, चन्दन पुत्र मदनलाल कालरा	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/3	
1160	योगेशकालरा पुत्र मदनलाल कालरा	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/4	0.4359
1161	दिनेशअग्रवाल पुत्र बेजनाथ	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/5	
1162	अजय सिंह पुत्र कृपाल सिंह कुशवाह	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/6	
1163	महेंद्र गुप्ता पुत्र श्रीराम गुप्ता	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/मिन-1	
1164	अनिलमालिक पुत्र घनश्याम दास मालिक	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	62/मिन-2	
1165	शासकीय	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	63	0.0397
1166	शासकीय	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	69	0.0645
1167	शासकीय	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	70	0.0519
1168	शासकीय	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	71	0.0759
1169	कपिल, अखिलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	89	0.5014
1170	अलकागुप्ता, उत्साहगुप्ता पुत्र हर्षगुप्ता	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	90	0.0840

1171	कपिल, अखिलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	91	0.0210
1172	अलकागुप्ता, उत्साहगुप्ता पुत्र हर्षगुप्ता	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	94	0.0094
1173	कपिल, अखिलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	103	0.4063
1174	शासकीय	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	106	0.0548
1175	कपिल, अखिलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	107	0.0799
1176	कपिल, अखिलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	113	0.5546
1177	कपिल, अखिलेश, संजय पुत्र स्व. राजनारायण	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	114	0.0054
1178	अलकागुप्ता, उत्साहगुप्ता पुत्र हर्षगुप्ता	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	116	0.1213
1179	अलकागुप्ता, उत्साहगुप्ता पुत्र हर्षगुप्ता	गिदं ग्वालियर	पुरानी छावनी	117	0.0142
1180	सरजीत सिंह, निमल सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गिदं ग्वालियर	खोरियाभान	1	0.8709
1181	सरजीत सिंह, निमल सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गिदं ग्वालियर	खोरियाभान	2	0.1682
1182	सरजीत सिंह, निमल सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गिदं ग्वालियर	खोरियाभान	13	0.7844
1183	सरजीत सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गिदं ग्वालियर	खोरियाभान	85/1	0.7223
1184	सरजीत सिंह पुत्र दर्शनसिंह	गिदं ग्वालियर	खोरियाभान	85/2	
1185	लालित अटल पुत्र बारेलाल अटल	गिदं ग्वालियर	खोरियाभान	95/1	
1186	शासकीय	गिदं ग्वालियर	खोरियाभान	95/2	0.0552
1187	लालित अटल पुत्र बारेलाल अटल	गिदं ग्वालियर	खोरियाभान	95/3	
1188	तारोबाई पत्नी जसवंत सिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1502/1	0.0310
1189	तारोबाई पत्नी जसवंत सिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1502/2	
1190	तारोबाई पत्नी जसवंत सिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1504/1	0.2657
1191	तारोबाई पत्नी जसवंत सिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1504/2	
1192	तारोबाई पत्नी जसवंत सिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1506	0.0925
1193	तारोबाई पत्नी जसवंत सिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1507	0.3076
1194	अजू पत्नी संजीव गुप्ता	गिदं ग्वालियर	रायरू	1510	0.1686
1195	संजीव पुत्र हरवन्धलाल	गिदं ग्वालियर	रायरू	1511	0.0687
1196	पूनमसविता पत्नी दर्शनलाल	गिदं ग्वालियर	रायरू	1512	0.0839
1197	संजीव पुत्र हरवन्धलाल	गिदं ग्वालियर	रायरू	1513	0.3007
1198	संजीव पुत्र हरवन्धलाल	गिदं ग्वालियर	रायरू	1514	0.0171
1199	हरभजन सिंह पुत्र चनासिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1520	0.0130
1200	दलजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1521/1/1	
1201	हरभजन सिंह पुत्र चनासिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1521/1/2	0.1417
1202	जसाविन्दर सिंह पुत्र चनासिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1521/2	
1203	आजयवसिंह पुत्र चनासिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1523/1	0.0670
1204	जसाविन्दर सिंह पुत्र चनासिंह	गिदं ग्वालियर	रायरू	1523/2	
1205	शासकीय	गिदं ग्वालियर	रायरू	1558	0.0406
<b>TOTAL</b>					<b>279.4307</b>

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किये गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भूवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं करेगा

(G-765)

प्रदीप कुमार शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

**नाम परिवर्तन**

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ज्योति अटोलिया था, अब विवाह उपरान्त मेरा नाम ज्योति धाकड़ हो गया है. मेरा विवाह हो जाने के कारण मुझे अब वर्तमान में ज्योति धाकड़ पति पुष्पक धाकड़ के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(ज्योति अटोलिया)

नया नाम  
(ज्योति धाकड़)

(G-766)

**नाम परिवर्तन**

मैं, अभिषेक जैन पिता श्री देवेन्द्र जैन पता-19-20, स्वर्णवाटिका कालोनी, इन्दौर (म.प्र) एतद् सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि, अभी तक मेरा नाम अभिषेक कुमार पिता श्री देवेन्द्र जैन के नाम से जाना जाता रहा है. अब से मुझे अभिषेक कुमार के स्थान पर अभिषेक जैन के नाम से जाना जाये, पहचाना जाये, मैं, अपना नाम आज दिनांक से अभिषेक जैन ही लिखूंगा और अपने हस्ताक्षर भी अभिषेक जैन के नाम से करूंगा. अतः इस जाहिर सूचना से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भविष्य में मुझे अभिषेक जैन पिता श्री देवेन्द्र जैन के नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम  
(अभिषेक कुमार)

नया नाम  
(अभिषेक जैन)

पिता-श्री देवेन्द्र कुमार जैन

पिता-श्री देवेन्द्र जैन.

(G-767)

### उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अंजली जोशी पति स्व. श्री अनिल जोशी पता-272, जवाहरनगर, राजेन्द्रनगर के पास, इन्दौर (म.प्र) एतद् सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि, शादी के पूर्व मेरा नाम स्नेहलता पुरंदरे था, शादी के बाद से श्रीमती अंजली जोशी पति स्व. श्री अनिल जोशी के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ, मैं, अपना नाम आज दिनांक से श्रीमती अंजली जोशी पति स्व. श्री अनिल जोशी ही लिखूंगी और अपने हस्ताक्षर भी श्रीमती अंजली जोशी के नाम से करूंगी, स्नेहलता पुरंदरे व अंजली जोशी दोनों मेरे स्वयं के हैं, जिनसे मैं, जानी-पहचानी जाती हूँ, अतः इस जाहिर सूचना से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भविष्य में मुझे श्रीमती अंजली जोशी पति स्व. श्री अनिल जोशी के नाम से ही जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम  
(स्नेहलता)  
पिता-श्री भास्करराव पुरंदरे  
(G-768)

नया नाम  
(अंजली जोशी)  
पति-स्व. अनिल जोशी.

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, विनीता श्रीवास्तव पुत्री श्री महेंद्र कुमार श्रीवास्तव जाति कायस्थ, निवासी-वार्ड क्रमांक 16, अंजनी नगर, आदर्श कॉलोनी, आष्टा सूचित करती हूँ, कि मेरा पुत्र अरिहंत जैन आत्मज श्री धर्मचंद जैन है. मेरा पूर्व पति से विवाह विच्छेद हो गया है. इस कारण मैं, अपने पुत्र अरिहंत जैन का नाम बदलकर अब कोणस्थ श्रीवास्तव समस्त दस्तावेजों में करवाना चाहती हूँ, आज दिनांक 15-03-2023 के बाद उक्त अरिहंत जैन का नाम समस्त दस्तावेज में कोणस्थ श्रीवास्तव दर्ज किया जावे व पढ़ा जावे.

भवदीय,  
(विनीता श्रीवास्तव)  
वार्ड क्रमांक 16, अंजनी नगर,  
आदर्श कॉलोनी, आष्टा.  
(G-769)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा परिवार व मेरे बच्चों के दस्तावेजों में जैसे शैक्षणिक अंकसूचियों, प्रमाण-पत्र, शासकीय अभिलेखों, पेन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में मेरा नाम मुनिन्द्र वैद्य (MUNINDRA VAIDYA/MUNEENDRA VAIDYA) अंकित किया गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम मुनिन्द्र कुमार वैद्य (MUNINDRA KUMAR VAIDYA) पिता स्व० श्री इन्द्रनारायण वैद्य S/o. LATE SHRI INDRANARAYAN VAIDYA), निवासी 107-ए, नैनीगिरी, जे. के. रोड, गोविन्दपुरा, भोपाल (म०प्र०) है। अब मुझे भविष्य में मुनिन्द्र कुमार वैद्य (MUNINDRA KUMAR VAIDYA) के नाम से जाना जावे और मेरे बच्चों की दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(मुनिन्द्र वैद्य)  
(MUNINDRA VAIDYA/MUNEENDRA VAIDYA)  
पिता-स्व. श्री इन्द्रनारायण वैद्य  
S/o LATE SHRI INDRANARAYAN VAIDYA  
(G-770)

नया नाम  
(मुनिन्द्र कुमार वैद्य)  
(MUNINDRA KUMAR VAIDYA)  
पिता-स्व. श्री इन्द्रनारायण वैद्य  
S/o LATE SHRI INDRANARAYAN VAIDYA.

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज जैसे अंकसूचियाँ, प्रमाण-पत्र, शासकीय अभिलेखों, शासकीय अभिलेखों, आधार कार्ड एवं पेनकार्ड इत्यादि दस्तावेजों में मेरा नाम गार्गी वैद्य (GARGI VAIDYA) पुत्री मुनिन्द्र वैद्य (MUNINDRA VAIDYA / MUNEENDRA VAIDYA) अंकित है। जबकि मेरा वास्तविक नाम गार्गी वैद्य (GARGI VAIDYA) पुत्री मुनिन्द्र कुमार वैद्य (MUNINDRA KUMAR VAIDYA), निवासी 107-ए, नैनीगिरी, जे. के. रोड, गोविन्दपुरा, भोपाल (म0प्र0) है। अब मुझे भविष्य में गार्गी वैद्य (GARGI VAIDYA) पुत्री मुनिन्द्र कुमार वैद्य (MUNINDRA KUMAR VAIDYA) के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम  
(गार्गी वैद्य)  
(GARGI VAIDYA)  
पुत्री-मुनिन्द्र वैद्य  
(MUNINDRA VAIDYA/MUNEENDRA VAIDYA)  
(G-771)

नया नाम  
(गार्गी वैद्य)  
(GARGI VAIDYA)  
पुत्री-मुनिन्द्र कुमार वैद्य  
(MUNINDRA KUMAR VAIDYA)

## CHANGE OF SURNAME

I Neha Singh Parihar here by declare that after marriage my surname is changed from Neha Singh Parihar to Neha Singh Sikarwar W/O Shri Nitesh Singh Sikarwar so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name  
(NEHA SINGH PARIHAR)

(G-772)

New Name  
(NEHA SINGH SIKARWAR)  
W/o Nitesh Singh Sikarwar,  
E-2/229, Arera Colony, Bhopal.

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, असलम खान **(Aslam Khan)**, पता—मकान क्रमांक—137, नवीन नगर, मेन रोड़ ऐशबाग, बॉम्बे बेकरी के सामने, तहसील—हुजूर, जिला—भोपाल 462023 (म.प्र.), मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मोहम्मद असलम खान अंकित है एवं मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम असलम खान **(Aslam Khan)** है, मैं इसी नाम से जाना व पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ।

पुराना नाम  
(मोहम्मद असलम खान)  
**(Mohd Aslam Khan)**

नया नाम  
(असलम खान)  
**(Aslam Khan)**

पता—मकान क्रमांक—137, नवीन नगर,  
मेन रोड़ ऐशबाग, बॉम्बे बेकरी के सामने,  
तहसील—हुजूर, जिला—भोपाल 462023 (म.प्र.)

(G-773)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों (शैक्षणिक अंकसूचीयों, पहचान पत्रों, राजस्व रिकार्ड एवं शासकीय सेवा से संबंधित अभिलेख एवं अन्य) में नाम साक्षी भावसार (SAKSHI BHAWSAR) पुत्री श्री विनोद भावसार (VINOD BHAWSAR) अंकित है। मेरा विवाह श्री प्रिन्स सोनी से हो जाने के फलस्वरूप भविष्य में मैं, साक्षी सोनी पत्नी श्री प्रिन्स सोनी के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

अतः मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित नाम साक्षी भावसार पुत्री श्री विनोद भावसार के स्थान पर साक्षी सोनी (SAKSHI SONI) पत्नी श्री प्रिन्स सोनी पढ़ा एवं समझा जावे। उक्त दोनों ही नाम मेरे होकर एक ही महिला के हैं।

पुराना नाम  
(साक्षी भावसार)  
पुत्री—श्री विनोद भावसार

नया नाम  
(साक्षी सोनी)  
पत्नी—श्री प्रिन्स सोनी

(G-774)



## नाम परिवर्तन

मैं सविता मुकाती पत्नी श्री दिलीप मुकाती निवासी 74, हरिबड़, वार्ड नं 8, तहसील अंजड़, बड़वानी, (म.प्र.) एतदद्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम सविता मुकाती है। ऐतद् द्वारा मुझे सविता सिंह चौहान नाम से जाना जाए। इसलिए सरकारी, अर्ध सरकारी, शेरर प्रमाणपत्र और कॉर्पोरेट दस्तावेजों आदि में सभी उद्देश्यों के लिए सविता मुकाती के स्थान पर सविता सिंह चौहान नाम का उपयोग किया जाएगा।

पुराना नाम

(सविता मुकाती)

G-775)

नया नाम

(सविता सिंह चौहान)

## नाम परिवर्तन

मैं दिलीप मुकाती पुत्र श्री भगवान जी मुकाती निवासी 74, हरिबड़, वार्ड नं 8, तहसील अंजड़, बड़वानी, (म.प्र.) एतदद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम दिलीप मुकाती है। ऐतद् द्वारा मुझे दिलीप सिंह चौहान नाम से जाना जाए। इसलिए सरकारी, अर्ध सरकारी, शेरर प्रमाणपत्र और कॉर्पोरेट दस्तावेजों आदि में सभी उद्देश्यों के लिए दिलीप मुकाती के स्थान पर दिलीप सिंह चौहान नाम का उपयोग किया जाएगा।

पुराना नाम

(दिलीप मुकाती)

G-776)

नया नाम

(दिलीप सिंह चौहान)

## CHANGE OF NAME

Hereby declare that, my correct name is Praveena Bhargav, But in my Daughter Dhruvi Bhargav's Marksheet my name is written Meet Bhargav which is my nick name. Henceforth in all of my Daughter's Marksheet my name will be written Praveena Bhargav for all purposes.

Old Name

(MEETA BHARGAV)

(G-777)

New Name

(PRAVEENA BHARGAV)

Mali Mohalla, Post Office Chouraha,  
Hanuman Mandir Gali, Khargone (M.P.).

### नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा सही नाम Hariom singh Rajpoot S/o. Anurudh Singh Rajpoot and Sangeeta Rajpoot है, किन्तु मेरी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में हमारे नाम Hariom singh Rajput S/o. Anurudh Singh and Sangeeta एवं कक्षा 12वीं की मार्कशीट में हमारे नाम Hari om singh Rajput S/o. Anurudh Rajput and Sangeeta Rajput लिखे हुए हैं, जो कि गलत नाम हैं, गलत नाम होने के कारण मैं अपनी कक्षा 10वीं व 12वीं की मार्कशीट में अपने सही नाम लिखवाना चाहता हूँ। भविष्य में मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे हमारे सही नाम से ही लिखा व पढ़ा जाए।

पुराना नाम

(HARIOM SINGH RAJPUT)

नया नाम

(HARIOM SINGH RAJPOOT)

S/o Anurudh Singh Rajpoot  
and Sangeeta Rajpoot.

(G-778)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि असगर अली आत्मज स्व. अख्तर अली, आयु वयस्क, निवासी-जी-49, जेल रोड, वेटनरी कालोनी, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) का पुत्र इब्राहिम अली है, जो कि सेन्ट मोन्टफोर्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल में कक्षा-9-सी में अध्ययनरत है, जिसका पूर्व का नाम आरयान अली था. यही नाम उसके शैक्षणिक रिकार्ड एवं आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र में भी अंकित है, जिसका नाम परिवर्तित कर इब्राहिम अली रख दिया है तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा एवं यही नाम अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र आदि में भी दर्ज करा लिया जावेगा.

पुराना नाम

(आरयान अली)

नया नाम

(इब्राहिम अली)

(G-779)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी फर्म मेसर्स आर. आर. जैन इंफ्रा, पुराना पता-10, धन्वन्तरि भवन, चिकित्सक नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0095-20, सन् 2020-21, दिनांक 22 सितम्बर 2020 से फर्मों के रजिस्ट्रार इंदौर, संभाग इंदौर, में पंजीकृत है. फर्म का पता-10, धन्वन्तरि भवन, चिकित्सक नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) से परिवर्तित होकर 54, सेक्टर ए, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) हो गया है.

किसी को भी इस सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो, तो 7 दिनों में सूचित करें.

मेसर्स-आर. आर. जैन इंफ्रा,

(रविश जैन)

भागीदार.

(G-780)

**PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Tarak Associates Registered office at Village Mangrola, Chintaman Road, Ujjain M.P. and Registration No is 07/33/01/0100/22 dated 26/09/2022, which was constituted vide Partnership deed executed on 29/03/2022. In this Partnership firm subsequently, following changes has been made on 31/01/2023, Shri Sanjay Bapna has joined the firm as a new partner.

In this Partnership firm another subsequent change has been made on 01/02/2023 Shri Yashpal Singh has voluntarily retired from the Partnership firm.

Now 1. Shri Abhishek Patel and 2. Shri Sanjay Bapna are the running Partners of the firm.

MS. Tarak Associates,

**1. ABHISHEK PATEL,**

**2. SANJAY BAPNA,**

Partners.

(G-781)

**नाम परिवर्तन**

मैं तिलक सिंह यादव (TILAK SINGH YADAV) पुत्र बादाम सिंह यादव सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम श्री दिनेश यादव (SHRI DINESH YADAV) है जो मेरी माँ स्व. शीला देवी यादव (LATE SHEELA DEVI YADAV) पत्नी बादाम सिंह यादव की बीमा पॉलिसी क्रमांक 203770768 के नोमिनेशन में लिखा गया है अतः मेरे बैंक पास बुक में मेरा नाम तिलक यादव लिखा गया है जबकि वर्तमान में, मैं तिलक सिंह यादव पुत्र बादाम सिंह यादव के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर कार्ड में भी लिखा हुआ है। और भविष्य में भी मैं इसी नाम तिलक सिंह यादव पुत्र बादाम सिंह यादव के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूंगा। तिलक सिंह यादव तथा श्री दिनेश यादव दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी माँ स्व. शीला देवी यादव पत्नी बादाम सिंह यादव की बीमा पॉलिसी क्रमांक 203770768 के नोमिनेशन में मेरा नाम श्री दिनेश यादव के स्थान पर मेरा वर्तमान नाम तिलक सिंह यादव लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम  
(दिनेश यादव)

नया नाम  
(तिलक यादव)  
पुत्र बादाम सिंह यादव,  
कम्यूनिटी हॉल के पास, विजय नगर,  
आमखो, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.

G-782)

**नाम परिवर्तन**

मैं, चाहत गर्ग (CHAHAT GARG) पुत्री सौरभ गर्ग, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम चेरी गर्ग (CHERRY GARG) है। जो मेरे UTI के A/C No.-511177755586 में लिखा गया है। जबकि वर्तमान में मैं, चाहत गर्ग पुत्री सौरभ गर्ग के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आदि में लिखा हुआ है एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम चाहत गर्ग के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी। चेरी गर्ग एवं चाहत गर्ग दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे UTI के A/C No.-511177755586 में मेरा नाम चेरी गर्ग के स्थान पर चाहत गर्ग लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम  
(चेरी गर्ग)

नया नाम  
(चाहत गर्ग)  
पुत्री सौरभ गर्ग,  
पता-के. एस. कॉम्प्लेक्स,  
जीवाजी गंज, मुरैना (म.प्र.).

(G-783)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भूरी बाई पत्नी स्व. श्री संतोष प्रजापति, मेरा निवास म. नं. 808-809, कुम्हार मोहल्ला, पंचशील नगर, भोपाल है। मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश बबीता प्रजापति अंकित हो गया है जो कि गलत है। जबकि मेरे मतदाता परिचय पत्र में मेरा सही नाम अंकित है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भूरी बाई के नाम से जाना-पहचाना व समझा जाये तथा मेरे दस्तावेजों में भी मेरा सही नाम भूरी बाई अंकित किया जाये, जो सर्वविदित हो।

पुराना नाम  
(बबीता प्रजापति)

नया नाम  
(भूरी बाई)

(G-784)

**CHANGE OF NAME**

I, Sonu Saluja hereby declare that, in some of my documents my name is written Shashi Saluja and in some of other documents my name is written Sonu Saluja. So from now and in future always in all of my and my husband and my children's all Government and non-governmental documents my only one name sonu saluja will be written and read for all purposes.

OLD NAME  
(SHASHI SALUJA)

NEW NAME  
(SONU SALUJA)  
Ashok Nagar (M.P.).

(G-785)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा राजस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajas Johari S/o Satish Johari) था जो मैं, आज से पूर्व उपयोग करता था जो मेरे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि दस्तावेजों पर दर्ज है पर अब मैंने अपना नाम बदलकर राजेस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajes Johari S/o Satish Johari) रख लिया है तथा उपरोक्त दोनों नाम राजस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajas Johari S/o Satish Johari) एवं राजेस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajes Johari S/o Satish Johari) एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही नाम है।

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम राजेस जोहरी पिता सतीश जोहरी (Rajes Johari S/o Satish Johari) से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा व बोला जाये। सो विदित हो।

पुराना नाम  
(राजस जोहरी)  
पिता-सतीश जोहरी

नया नाम  
(राजेस जोहरी)  
पिता-सतीश जोहरी  
निवासी-6 वसंत विहार कॉलोनी, लोकमान्य  
नगर के पास, इन्दौर.

(G-786)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में भगवती बाई राजोरिया पति कैलाश चंद्र राजोरिया (Bhagwati Bai Rajoriya W/o Kailash Chandra Rajoriya) तथा कुछ में भगवती देवी राजोरिया पति कैलाश चंद्र राजोरिया (Bhagwati Devi Rajoriya W/o Kailash Chandra Rajoriya) था. जबकि मेरा वास्तविक नाम भगवती राजोरिया पति कैलाश चंद्र राजोरिया (Bhagwati Rajoriya W/o Kailash Chandra Rajoriya) है तथा उपरोक्त सभी नाम भगवती बाई राजोरिया, भगवती देवी राजोरिया एवं भगवती राजोरिया एक ही महिला अर्थात् मेरे ही नाम हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नए नाम भगवती राजोरिया पति कैलाश चंद्र राजोरिया (Bhagwati Rajoriya W/o Kailash Chandra Rajoriya) से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा व बोला जाये. सो विदित हो.

पुराना नाम

(भगवती बाई/देवी राजोरिया)

नया नाम

(भगवती राजोरिया)

निवासी-वार्ड नं. 25, आदर्श नवीन नगर,  
शाजापुर.

(G-787)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गायत्री फिलिंग स्टेशन जो हाउस नं. 49, विलेज रननोड, शिवपुरी, म.प्र. में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/41/01/0035/22, दिनांक 09-06-2022 है. जिसमें दिनांक 01-04-2023 को भागीदार श्रीमती गायत्री अहिरवार पत्नी श्री लोचन लाल अहिरवार, निवासी हाउस नं. 49, विलेज रननोड, तहसील कैलारस, शिवपुरी फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गई हैं. फर्म में दो भागीदार होने से एक के पृथक् हो जाने के कारण फर्म स्वतः भंग हो गई है एवं इसी दिनांक 01-04-2023 से भागीदार श्री मनीष कुमार प्रॉपराइटर्स के रूप में फर्म को संचालित करेंगे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मेसर्स गायत्री फिलिंग स्टेशन

मनीष कुमार

(भागीदार)

पता-हाउस नं. 49, विलेज रननोड,  
शिवपुरी (म.प्र.).

(G-788)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स सुभाष वस्त्रालय जिसका पंजीयन क्रमांक 352 व पंजीयन दिनांक 01-06-1974 तथा पता 5 शिव विलास पैलेस, राजबाड़ा चौक इन्दौर, जिला इन्दौर है. जिसमें 20-11-1980 वाले भागीदारी विलेख में 4 भागीदार 1. सोमचन्द्र राजमल जैन, 2. श्रीमती जवरबाई केशरीमल जैन, 3. श्री सुरेश कुमार चांदमल जैन, 4. श्रीमती राजूबाई शिखरचंद जैन थे. दिनांक 10-04-1989 को फर्म में 3 नए साझेदार. 1. श्रीमती किरणबाला धूलचन्द्र जैन, 2. श्री महेंद्र कुमार केशरीमल जैन, 3. श्री अशोक कुमार केशरीमल जैन शामिल हुए तथा इसी दिन 3 साझेदार 1. सोमचन्द्र राजमल जैन, 2. श्री सुरेश कुमार चांदमल जैन, 3. श्रीमती राजूबाई शिखरचंद जैन फर्म से रिटायर हो गए. तत्पश्चात् दिनांक 12-09-2006 फर्म की एक भागीदार श्रीमती जवरबाई केशरीमल जैन की मृत्यु हो गयी जिस हेतु 29-09-2006 को शेष भागीदारों द्वारा नवीन लेख निष्पादित कर लिया. तत्पश्चात् दिनांक 01-04-2019 को फर्म की एक भागीदार

श्रीमती किरणबाला धूलचन्द जैन फर्म से रिटायर हो गयी एवं इसी दिन श्री धूलचन्द केशरीमल जैन फर्म में नए भागीदार के रूप में शामिल हो गए. अतः वर्तमान में फर्म में 3 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं:- 1. श्री महेंद्र कुमार केशरीमल जैन, 2. श्री अशोक कुमार केशरीमल जैन, 3. श्री धूलचन्द केशरीमल जैन जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

फर्म: मेसर्स सुभाष वस्त्रालय,  
महेंद्र कुमार, केशरीमल जैन,  
(भागीदार)

(G-789)

पता-19, नीलकंठ, कॉलोनी, इन्दौर.

### कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 मई 2023

प्रारूप-अटारह

[ नियम 19(5) देखिए ]

[ धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना ]

क्र./जविप्रा-भू-अर्जन-2023-44.-एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक -TDS-05/JBP-2022 यथा ग्राम महाराजपुर, हथना एवं खैरी तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उप-नियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:

1. जबलपुर विकास प्राधिकरण 7ए सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर.
2. नगर तथा ग्राम निवेश जिला जबलपुर ब्लॉक क्रमांक 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर तथा प्राधिकरण की वेबसाईट [jdajabalpur.org](http://jdajabalpur.org) पर भी उपलब्ध है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन दिनांक 19-05-2023 से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती हैं, पर विचार किया जाएगा.

(G-790)

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शैलजा रिछारिया पति श्री राकेश कुमार रिछारिया, निवासी-9/1, सांदिपनी परिसर, इंदिरा नगर, उज्जैन, शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, शादी पूर्व मेरा सरनेम शैलजा पांडे था. विभाग में श्रीमती शैलजा रिछारिया दर्ज है. अतः अब मैं शैलजा रिछारिया नाम से व सरनेम से जानी जाती हूँ.

शैलजा रिछारिया,  
9/1, सांदिपनी परिसर,  
मंगलनाथ रोड, इंदिरानगर, उज्जैन.

(G-791)

**नाम परिवर्तन**

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, तखत सिंह जाटव पुत्र श्री ख्यालीराम जाटव, वार्ड नं. 14, पंडित दीनदयाल कालोनी, बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) का निवासी हूँ, मैंने अपना नाम बदलकर विजय सिंह जाटव रख लिया है. इसलिए मुझे अब इस नये नाम से ही जाना-पहचाना जाये तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में भी मेरा नया नाम विजय सिंह जाटव पुत्र श्री ख्यालीराम जाटव अंकित किया जावे.

पुराना नाम  
(तखत सिंह जाटव)

नया नाम  
(विजय सिंह जाटव)

(G-792)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने (फरहीन खान पुत्री सगीर अहमद खान, आयु 29 वर्ष, निवासी-थाठीपुर मस्जिद कम्पाउण्ड, थाठीपुर, ग्वालियर) अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर आजिल खान (Azil Khan) के स्थान पर फाजिल खान (Fazil Khan) कर लिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को नये नाम फाजिल खान (Fazil Khan) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम  
(आजिल खान)

नया नाम  
(फाजिल खान)  
निवासी-वार्ड नं. 24, थाठीपुर मस्जिद,  
कम्पाउण्ड, थाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-793)

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती माया उमरे पत्नि श्री पदम सिंह उमरे, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक प्रपत्र में मेरा नाम श्रीमती माया उमरे अंकित है. मेरे नाम की सम्पत्ति के दस्तावेज (विक्रय-पत्र) में मेरा नाम श्रीमती माया वर्मा पत्नि श्री पदम सिंह वर्मा दर्ज है. ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अतः मेरे नाम की सम्पत्ति के दस्तावेज (विक्रय-पत्र) में मेरा नाम श्रीमती माया वर्मा के स्थान पर श्रीमती माया उमरे नाम पढ़ा जाये.

पुराना नाम  
(माया वर्मा)

नया नाम  
(माया उमरे)  
निवासी-मकान नंबर-120, शान्ति नगर,  
बरखेडा पटानी, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-794)

**नाम परिवर्तन**

मैं, डिम्पल वल्के, मेरा कक्षा 10वीं, केन्द्रीय विद्यालय, मलांजखण्ड की अंकसूची में मेरा नाम डिम्पल वल्के पिता विजय वल्के की स्पेलिंग (DIMPLE WALKEY D/o VIJAY WALKEY) दर्ज है, जोकि त्रुटिपूर्ण है.

इसका सही स्पेलिंग DIMPLE WALKER D/o VIJAY WALKER है. इसे ही दर्ज किया जाना है. अन्य शासकीय दस्तावेजों में DIMPLE WALKER D/o VIJAY WALKER ही है.

पुराना नाम  
(DIMPLE WALKEY)  
D/o VIJAY WALKEY

नया नाम  
(DIMPLE WALKER)  
D/o VIJAY WALKER

(G-795)

### नाम परिवर्तन

मैं अपना नाम अनीता गुप्ता पत्नी सियाराम गुप्ता के स्थान पर अनीता अग्रवाल पत्नी सियाराम अग्रवाल कर रही हूँ, अब मैं, भविष्य में अनीता अग्रवाल पत्नी सियाराम अग्रवाल के नाम से जानी-पहचानी व पुकारी जाऊंगी एवं यही नाम मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(अनीता गुप्ता)  
पत्नी-सियाराम गुप्ता

नया नाम  
(अनीता अग्रवाल)  
पत्नी-सियाराम अग्रवाल  
निवासी-303, आर.एस.टावर, खुर्जेवाला  
मोहल्ला, जिन्सी रोड़, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-796)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को इस सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि मैं, गौरव राय पिता श्री मुन्नालाल राय, निवासी वार्ड क्रमांक-15, नौरोजाबाद कुदरी थाना नौरोजाबाद, जिला उमरिया मध्यप्रदेश इस सूचना के जरिये सूचित करता है, कि मेरे आधार कार्ड, परिचय-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गुड्डू राय दर्ज है, जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम गौरव राय है. मैं, अपने शैक्षणिक दस्तावेज एवं मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों में मेरा सही नाम गौरव राय उल्लेखित किये जाने हेतु यह सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया हूँ. मेरा सही व वास्तविक नाम गौरव राय है और इसी नाम से मैं जाना व पहचाना जाता हूँ.

पुराना नाम  
(गुड्डू राय)

नया नाम  
(गौरव राय)  
पिता-श्री मुन्नालाल राय,  
निवासी-वार्ड क्रमांक-15, नौरोजाबाद कुदरी थाना  
नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.).

(G-797)

### नाम परिवर्तन

मेरी पक्षकारा श्रीमती समीक्षा बन्सोड़ पत्नि श्री मोरेश्वर बन्सोड़, निवासी-बी-4, सिग्नेचर सिटी, कटारा, हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश-462043, मेरी पक्षकारा का नाम शादी से पूर्व कुमारी वैशाली पिता श्री रमेश जी मेश्राम था. मेरा विवाह श्री मोरेश्वर बन्सोड़ से जय जलाराम मंगल कार्यालय, हिरवी नगर चौक, नागपुर, महाराष्ट्र होने के कारण अब मेरी पक्षकार का नाम श्रीमती समीक्षा बन्सोड़ पत्नी श्री मोरेश्वर बन्सोड़ के नाम से जाना जावे एवं मेरे समस्त प्रपत्रों में अब मेरा नाम श्रीमती समीक्षा बन्सोड़ पत्नी श्री मोरेश्वर बन्सोड़ के नाम से लिखा जावे.

पुराना नाम  
(कुमारी वैशाली)  
पिता-श्री रमेश जी मेश्राम

नया नाम  
(समीक्षा बन्सोड़)  
पत्नी-श्री मोरेश्वर बन्सोड़  
निवासी-बी-4, सिग्नेचर सिटी, कटारा  
हिल्स, भोपाल.

(G-798)



**नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, भावना सिंह पति विनीत प्रताप सिंह के साथ मेरा विवाह हुआ. सभी दस्तावेजों में मेरा नाम भावना माल पति विनीत माल दर्ज है. जबकि वास्तविकता में मेरा सही नाम भावना सिंह पति विनीत प्रताप सिंह है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम

**(भावना माल)**

पति-विनीत माल

(G-799)

नया नाम

**(भावना सिंह)**

पति-विनीत प्रताप सिंह.

**नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, भावना सिंह पति विनीत प्रताप सिंह के साथ मेरा विवाह हुआ. विवाह के पश्चात मेरी पुत्री जाहन्वी सिंह है. जाहन्वी सिंह के जन्म के समय से उसके सभी दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम जानवी माल पिता विनीत माल है. जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक व सही नाम जान्हवी सिंह पिता श्री विनीत प्रताप सिंह है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

**(जानवी माल)**

पिता-विनीत माल

(G-800)

नया नाम

**(जाहन्वी सिंह)**

पिता-विनीत प्रताप सिंह.

**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम (RAVINDRA DIKSHIT) था. अब वर्तमान में मुझे (RAVINDRA DIXIT), मकान नं. R-16 ग्रीन हाइट कॉलोनी, E-8, गुलमोहर, भोपाल के नाम से सभी सरकारी/गैर-सरकारी दस्तावेजों में जाना-पहचाना जावे.

पूर्व में मेरा नाम (JYOTI DIKSHIT) था. अब वर्तमान में मुझे (JYOTI DIXIT) पत्नि (RAVINDRA DIXIT), R-16 ग्रीन हाइट कॉलोनी E-8, गुलमोहर, भोपाल के नाम से सभी सरकारी/गैर-सरकारी दस्तावेजों में जाना-पहचाना जावे.

**रविन्द्र दीक्षित.**

(G-801)

**CHANGE OF NAME**

Earlier My Name was Jyoti Dikshit from now I should be known as Jyoti Dixit W/o Commander Ravindra Dixit R/o R-16, Green Heights, Gulmohar, E/8, Bhopal-39, in all the Govt./Non Govt. Documents.

Earlier My Name was Ravindra Dikshit from now I should be known as Ravindra Dixit R/o R-16, Green Heights, Gulmohar, E/8, Bhopal-39, in all the Govt./Non Govt. Documents.

**रविन्द्र दीक्षित.**

(G-802)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अंजु गुप्ता पति श्री गोविंद गुप्ता, निवासी 3, मारोठिया बाजार, इन्दौर होकर मैंने मेरे नाम से भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक आईडी आधार नंबर 9158 4168 6503 जारी करवाया गया था. जिसमें

त्रुटिवश अंजली गुप्ता पति गोविन्द दास गुप्ता अंकित हो गया था जिसे मैं दुरस्थ करवाकर मेरा वर्तमान प्रचलित नाम अंजु गुप्ता पति श्री गोविन्द गुप्ता करवा रही हूँ तथा भविष्य में मुझे अंजु गुप्ता पति श्री गोविन्द गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(अंजली गुप्ता)

(अंजु गुप्ता)

(G-803)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स हरि ओम कन्सल्टिंग मुख्यालय गंज मुहल्ला, जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) में से बाबूलाल गुप्ता तनय श्री परमानन्द गुप्ता सेवामुक्त हो गये हैं. उपरोक्त परिवर्तन दिनांक 04-04-2023 से लागू माना जायेगा.

मेसर्स हरि ओम कन्सल्टिंग,

प्रार्थना गुप्ता, गौरव गुप्ता

(भागीदार)

(G-804)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स साईं दृष्टि डेवलपर्स, पुराना पता-12/1, जी.एन.टी. मार्केट, नया पता-122, सिलिकान सिटी (राऊ), इन्दौर पर होकर पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0214-20 है. फर्म की स्थापना 06-01-2016 को तीन भागीदारों (1) चन्द्रकांत जुड़ियामल बजाज, (2) संजय मनाहरलाल कारड़ा, (3) श्वेता प्रनीत मंत्री के माध्यम से हुई थी. उपरोक्त फर्म में आज दिनांक तक निम्न संशोधन किये जा चुके हैं. (1) प्रथम संशोधन दिनांक 29-01-2016 जिसके माध्यम के श्रीमान संजय मनोहरलाल कारड़ा निजी कारणों से फर्म से अलग हो गये एवं श्रीमान सिद्धार्थ पिता श्री योगेश संघवी, निवासी प्रगति विहार, बिचौली मर्दाना, इन्दौर फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल हुये थे. (2) द्वितीय संशोधन दिनांक 28-11-2017 जिसके माध्यम के श्रीमान सिद्धार्थ पिता श्री योगेश संघवी निजी कारणों से फर्म से अलग हो गये जिसके उपरान्त केवल दो भागीदार ही उक्त फर्म में रह गये थे. (3) तृतीय संशोधन दिनांक 09-12-2021 वर्तमान संशोधन के माध्यम से श्रीमती श्वेता मंत्री निजी कारणों से फर्म से अलग हो गई हैं. जिनके स्थान पर नये भागीदार के रूप में श्रीमान सुनिल पिता श्री जुड़ियामल बजाज फर्म में शामिल हो गये. उक्त दिनांक से फर्म का पता 122, सिलिकान सिटी (राऊ), इन्दौर पूर्व पते के स्थान पर कर दिया गया है.

इस प्रकाशन पर यदि किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो कृपया प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति दर्ज करें

For Sai Drashti Developers,

(1) चंद्रकांत बजाज, (2) सुनिल बजाज,

(Partner)

पता-122, सिलिकान सिटी (राऊ),

इन्दौर.

(G-805)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मंगलम् एसोसियट्स जो महावीर कॉलोनी, जिला अशोकनगर, म.प्र. में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/47/01/00193/10, दिनांक 10-03-2010 है. जिसमें दिनांक 01-06-2010 को श्री नाथूलाल शिवहरे पुत्र श्री सीताराम शिवहरे, निवासी-218, शाहपुरा, सेक्टर बी-भोपाल (म.प्र.) नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 01-04-2012 को भागीदार श्री नाथूलाल शिवहरे पुत्र श्री सीताराम शिवहरे, निवासी-218, शाहपुरा, सेक्टर बी-भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 01-04-2023 को 1. श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी पुत्र रामबिहारी त्रिपाठी, निवासी-501, तुलीप बिल्डिंग, निखिल नेस्ले, होशंगाबाद रोड, अशीमा मॉल के पास, जाटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.), 2. श्री मुनीश वर्मा पुत्र श्री बुआदत्ता वर्मा, निवासी-मकान नं. 8, वार्ड नं. 1, विजयपुर, जिला साम्वा, जम्मू एण्ड कश्मीर, 3. कृ. सानिका सिंह पुत्री श्री योगेंद्र सिंह, निवासी-54, निखिल नेस्ले, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2023 को फर्म का मुख्य कार्यालय, महावीर कॉलोनी, जिला अशोकनगर से परिवर्तित होकर नवीन स्थान 46, निखिल नेस्ले, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) हो गया है.

मेसर्स मंगलम् एसोसियट्स,

योगेंद्र कुमार सिंह,

(भागीदार)

(G-806)

महावीर कॉलोनी, जिला अशोकनगर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वजन सूचित हो कि मुझ प्रार्थिनी VITUL VANSHKAR के आधार कार्ड में भूलवश मेरा नाम ममता जावट (MAMTA JAVAT) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में मेरा नाम विटुल जाटव दर्ज है, जबकि मुझ प्रार्थिनी का सही नाम VITUL VANSHKAR है. उक्त दोनों नाम मुझ प्रार्थिनी के ही हैं. अतः मेरे आधार कार्ड व वोटर कार्ड आदि दस्तावेजों में मेरा नाम VITUL VANSHKAR ही लिखा, पढ़ा व समझा जावे.

पुराना नाम

(MAMTA JAVAT/VITUL JATAV)

C/o MAHESH

नया नाम

(विटुल वंशकार) (VITUL VANSHKAR)

C/o MAHESH

निवासी-16, प्रेमनगर, डबरा,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-807)

### नाम परिवर्तन

मेरा बचपन का नाम रामशरण दीक्षित पुत्र थानेदार दीक्षित है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राघव दीक्षित पुत्र थानेदार दीक्षित लिखा गया है, जो कि सत्य व सही है. रामशरण दीक्षित एवं राघव दीक्षित मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य में मुझे राघव दीक्षित पुत्र थानेदार दीक्षित नाम से ही जाना-पहचाना जावे व मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राघव दीक्षित दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रामशरण दीक्षित)

पुत्र-थानेदार दीक्षित

नया नाम

(राघव दीक्षित)

पुत्र-थानेदार दीक्षित

पता-पुरानी चुंगी के पास, गुड़ा-गुडी

का नाका, कम्पू, लश्कर, गिर्द,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-808)

## न्यायालयों की सूचनाएँ

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास, उपखण्ड—जावद,  
जिला नीमच मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 0001—बी—113(1)—2021—22—2867.

जावद, दिनांक 12 अप्रैल 2023

प्रारूप—क्रमांक—4

[ देखें नियम 5(1) देखिये ]

(म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और म.प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा आवेदक मुख्य न्यासी श्री मनोहर पिता मोहनलाल सोनी, निवासी रतनगढ़, तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश, श्री डेर वाले संकट मोचन, श्री हनुमान मंदिर, नीमच—सिंगोली रोड़, रतनगढ़, तहसील सिंगोली जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 25 मई 2023 पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवाधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	श्री डेर वाले संकट मोचन, श्री हनुमान मंदिर, नीमच—सिंगोली रोड़, रतनगढ़, तहसील सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.)
-------------------------	---

(G-809)

शिवानी गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग—पुनासा  
जिला खण्डवा मध्यप्रदेश

प्र.क्र.00—बी—113(1)—2022—23

दिनांक 24 अप्रैल 2023

प्रारूप—चार

[ मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के अन्तर्गत ]

आवेदक श्री राजेश पिता रामकिशन जायसवाल नि. बडवाह तह. बडवाह जिला खरगोन वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा " अतिथि भवन हैहय क्षत्रिय कलचुरी सर्ववर्गीय जायसवाल (कलाल) समाज ट्रस्ट ग्राम कोठी' तह. पुनासा जिला खंडवा म.प्र. का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय मे दिनांक **12.05..2023** को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञापित के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

— अनुसूची —

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता—: “ अतिथि भवन हैहय क्षत्रिय कलचुरी सर्ववर्गीय जायसवाल (कलाल) समाज ट्रस्ट ग्राम कोठी ”  
पता—: “ अतिथि भवन हैहय क्षत्रिय कलचुरी सर्ववर्गीय जायसवाल (कलाल) समाज ट्रस्ट ग्राम कोठी ”  
तह. पुनासा जिला खंडवा म.प्र.

—अनुसूची “अ” —

चल संपत्ति :- नगद — 432008—00 रूपये बैंक खाते में नगद जमा.

—अनुसूची “ब” —

अचल संपत्ति:—  
1— तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर के समीप ग्राम कोठी, तह. पुनासा जिला खंडवा म.प्र. में पटवार. ह.न. 4 कोठी स्थित व्यपवर्तित भूमि ख.न. 236/2 रकबा 1.50 एकड़ भूमि  
2— उक्त भूमि पर निर्मित दो मंजिला भवन जिसमें में 54 कमरे मय फर्निचर, एक हाल, डोम, मंदिर, रसोई घर, मोटर सहित ट्यूबवेल, गैट एवं बाउंड्रीवाल निर्मित है। भवन में लगे अन्य उपकरण एवं आयोजन उपयोगी अन्य वस्तुएं।

(G-810)

चन्द्रसिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल

क्रमांक 417—रीडर—2023.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023  
प्र. क्र. 0001—बी—113—2023—24.

सार्वजनिक उद्घोषणा

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत )

राक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल  
जोरा कि आवेदक श्री सुदीप खरे, प्रबन्ध न्यासी अध्यक्ष रेवाक्ष अध्यात्मिक एवं राष्ट्रोत्थान संस्थान न्यास, भोपाल, निवासी 265 ब्लू 2, आकृति हाईलेण्ड, राधा री ढाणी के सामने फन्दा, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर “रेवाक्ष अध्यात्मिक एवं राष्ट्रोत्थान संस्थान न्यास” पता-26 ए एकजोटिका विला कालोनी गांधीनगर बायपास आशाराम तिराहा भोपाल (म0प्र0) के पंजीयन हेतु अनुरोध किया गया है।

2 एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 11/05/2023 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो टस्ट में या सम्पत्ति में अहित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में उपरोक्त दिनांक को उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुरूचीः

टस्ट का नाम व पता

रेवाक्ष अध्यात्मिक एवं राष्ट्रोत्थान संस्थान न्यास"  
पता-26-ए एकजोटिका विला कालोनी गांधीनगर  
बायपास आशाराम तिराहा भोपाल (म0प्र0)

अवल सम्पत्ति

5,000 / -- (पांच हजार मात्र)

वैल सम्पत्ति

निरंक

(G-811)

मनोज उपाध्याय, रजिस्ट्रार.

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर

क्र. परि.-2023-582

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैया, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1344 दिनांक 04.12.2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स. दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/247 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैया, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1344 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-812)

क्र. परि.-2023-583

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिकारपुर, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1346 दिनांक 04.12.2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स. दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/248 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिकारपुर, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1346 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-813)

क्र. परि.-2023-584

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1349 दिनांक 04.12.2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स. दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/249 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1349 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-814)

क्र. परि.-2023-585

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गोपाल, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1353 दिनांक 04.12.2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/250 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गोपाल, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1353 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-815)

क्र. परि.-2023-587

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैंसा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1356 दिनांक 04.12.2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/251 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैंसा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1356 दिनांक 04.12.2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-816)



क्र. परि.-2023-588

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सहजपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सहजपुर, वि.खं. केसली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1359 दिनांक 03.08.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/253 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सहजपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सहजपुर, वि.खं. केसली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1359 दिनांक 03.08.2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-817)

क्र. परि.-2023-589

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

हंसरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हंसरई, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1365 दिनांक 24.08.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/255 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत हंसरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हंसरई, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1365 दिनांक 24.08.2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-818)

क्र. परि.-2023-590

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

पचपीपरा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., पचपीपरा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1369 दिनांक 26.08.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स. दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/256 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत पचपीपरा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., पचपीपरा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1369 दिनांक 26.08.2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-819)

क्र. परि.-2023-592

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

छिरारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छिरारी, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1374 दिनांक 28.09.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स. दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/257 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत छिरारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छिरारी, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1374 दिनांक 28.09.2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-820)

क्र. परि.-2023-593

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बंसिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बंसिया, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1396 दिनांक 31.12.2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/258 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बंसिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बंसिया, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1396 दिनांक 31.12.2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-821)

क्र. परि.-2023-594

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

ढगरानियां दुग्ध समिति सहकारी मर्या., ढगरानियां, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1400 दिनांक 02.01.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/259 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत ढगरानियां दुग्ध समिति सहकारी मर्या., ढगरानियां, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1400 दिनांक 02.01.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-822)

क्र. परि.-2023-595

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

चन्द्रापुर दुग्ध समिति सहकारी मर्या., चन्द्रापुर, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1401 दिनांक 02.01.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/260 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत चन्द्रापुर दुग्ध समिति सहकारी मर्या., चन्द्रापुर, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1401 दिनांक 02.01.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-823)

क्र. परि.-2023-596

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सेवन दुग्ध समिति सहकारी मर्या., सेवन, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1406 दिनांक 17.01.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/261 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सेवन दुग्ध समिति सहकारी मर्या., सेवन, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1406 दिनांक 17.01.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-824)

क्र. परि.-2023-597

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बेरखेड़ी खुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बेरखेड़ी खुर्द, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1408 दिनांक 17.01.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/262 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बेरखेड़ी खुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बेरखेड़ी खुर्द, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1408 दिनांक 17.01.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-825)

क्र. परि.-2023-598

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

चनौआ खुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या., चनौआ खुर्द, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1411 दिनांक 03.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/263 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत चनौआ खुर्द दुग्ध समिति सहकारी मर्या., चनौआ खुर्द, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1411 दिनांक 03.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-826)

क्र. परि.-2023-599

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बरोदिया बल्लभ दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बरोदिया बल्लभ, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1412 दिनांक 03.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/264 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बरोदिया बल्लभ दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बरोदिया बल्लभ, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1412 दिनांक 03.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-827)

क्र. परि.-2023-600

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

जरारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., जरारा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1413 दिनांक 03.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/265 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत जरारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., जरारा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1413 दिनांक 03.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-828)

क्र. परि.-2023-601

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

ईशुरवारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., ईशुरवारा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1416 दिनांक 03.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/266 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत ईशुरवारा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., ईशुरवारा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1416 दिनांक 03.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-829)

क्र. परि.-2023-602

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

नरयावली दुग्ध समिति सहकारी मर्या., नरयावली, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1417 दिनांक 22.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/267 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत नरयावली दुग्ध समिति सहकारी मर्या., नरयावली, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1417 दिनांक 22.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-830)

क्र. परि.-2023-603

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

पड़रिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या., पड़रिया, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1420 दिनांक 25.02.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/268 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत पड़रिया दुग्ध समिति सहकारी मर्या., पड़रिया, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1420 दिनांक 25.02.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-831)

क्र. परि.-2023-604

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

कानीखेड़ाकलां दुग्ध समिति सहकारी मर्या., कानीखेड़ाकलां, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1429 दिनांक 20.04.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/270 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत कानीखेड़ाकलां दुग्ध समिति सहकारी मर्या., कानीखेड़ाकलां, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1429 दिनांक 20.04.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-832)



क्र. परि.-2023-605

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सासा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., सासा, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1438 दिनांक 27.04.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्ष.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/271 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सासा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., सासा, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1438 दिनांक 27.04.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-833)

क्र. परि.-2023-606

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

रिछाई दुग्ध समिति सहकारी मर्या., रिछाई, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1443 दिनांक 22.06.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्ष.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/272 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत रिछाई दुग्ध समिति सहकारी मर्या., रिछाई, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1443 दिनांक 22.06.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-834)

क्र. परि.-2023-607

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बमनौरा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बमनौरा, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1448 दिनांक 22.06.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/273 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बमनौरा दुग्ध समिति सहकारी मर्या., बमनौरा, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1448 दिनांक 22.06.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-835)

क्र. परि.-2023-608

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

मदनतला दुग्ध समिति सहकारी मर्या., मदनतला, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1450 दिनांक 28.06.2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/274 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मदनतला दुग्ध समिति सहकारी मर्या., मदनतला, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1450 दिनांक 28.06.2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-836)

क्र. परि.-2023-611

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

कासलपिपरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कासलपिपरिया, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1481 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/275 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत कासलपिपरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कासलपिपरिया, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1481 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-837)

क्र. परि.-2023-612

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सिंगारचौरी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सिंगारचौरी, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1483 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/276 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सिंगारचौरी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सिंगारचौरी, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1483 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-838)

क्र. परि.-2023-613

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

भौहारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भौहारी, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1490 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/277 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत भौहारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भौहारी, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1490 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-839)

क्र. परि.-2023-614

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सेमराधौना दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सेमराधौना, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1492 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/278 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सेमराधौना दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सेमराधौना, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1492 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-840)

क्र. परि.-2023-615

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

पटनाबुजुर्ग दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पटनाबुजुर्ग, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1493 दिनांक 07.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/279 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत पटनाबुजुर्ग दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पटनाबुजुर्ग, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1493 दिनांक 07.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-841)

क्र. परि.-2023-616

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सागोनीखुर्द दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सागोनीखुर्द, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1495 दिनांक 21.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/280 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सागोनीखुर्द दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सागोनीखुर्द, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1495 दिनांक 21.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-842)

क्र. परि.-2023-617

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

अगरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., अगरा, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1498 दिनांक 21.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/281 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत अगरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., अगरा, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1498 दिनांक 21.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-843)

क्र. परि.-2023-618

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

ढकरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या., ढकरई, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1500 दिनांक 21.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/282 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत ढकरई दुग्ध सहकारी समिति मर्या., ढकरई, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1500 दिनांक 21.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-844)

क्र. परि.-2023-619

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

मढ़िया अग्रसेन दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मढ़िया अग्रसेन, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1501 दिनांक 21.08.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/283 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मढ़िया अग्रसेन दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मढ़िया अग्रसेन, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1501 दिनांक 21.08.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-845)

क्र. परि.-2023-620

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

जलंधर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., जलंधर, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1504 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/284 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत जलंधर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., जलंधर, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1504 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती अनामिका दुबे, सहायक विस्तार पर्यवेक्षक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-846)

क्र. परि.-2023-614

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरबटू, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1505 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/285 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरबटू, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1505 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-847)

क्र. परि.-2023-615

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बसियाभौती दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बसियाभौती, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1506 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/286 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बसियाभौती दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बसियाभौती, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1506 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-848)



क्र. परि.-2023-616

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

लुहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., लुहरा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1508 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/287 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्ड्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत लुहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., लुहरा, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1508 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-849)

क्र. परि.-2023-617

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

खैराई दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खैराई, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1509 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/288 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्ड्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत खैराई दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खैराई, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1509 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-850)

क्र. परि.-2023-618

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

हनौता पारीक्षित दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हनौता पारीक्षित, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1511 दिनांक 13.10.2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/289 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत हनौता पारीक्षित दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हनौता पारीक्षित, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1511 दिनांक 13.10.2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-851)

क्र. परि.-2023-619

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठेली, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1532 दिनांक 01.02.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/290 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कठेली, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1532 दिनांक 01.02.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-852)

क्र. परि.-2023-620

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्होरी नवाब, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1533 दिनांक 01.02.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/291 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्ड्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्होरी नवाब, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1533 दिनांक 01.02.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-853)

क्र. परि.-2023-621

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1535 दिनांक 01.02.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/292 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्ड्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1535 दिनांक 01.02.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-854)

क्र. परि.-2023-622

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1536 दिनांक 01.02.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/293 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्ड्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1536 दिनांक 01.02.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री सजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-855)

क्र. परि.-2023-623

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरा, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1540 दिनांक 31.03.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/294 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्ड्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरा, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1540 दिनांक 31.03.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री सजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-856)

क्र. परि.-2023-624

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विदवासन, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1549 दिनांक 24.10.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/295 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विदवासन, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1549 दिनांक 24.10.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-857)

क्र. परि.-2023-625

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैयागूजर, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1550 दिनांक 24.10.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/296 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करैयागूजर, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1550 दिनांक 24.10.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-858)

क्र. परि.-2023-626

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालीपठार, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1551 दिनांक 24.10.2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/297 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालीपठार, वि.खं. जैसीनगर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1551 दिनांक 24.10.2016 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-859)

क्र. परि.-2023-627

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

उजनेट दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उजनेट, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1557 दिनांक 28.03.2017 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/298 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत उजनेट दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उजनेट, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1557 दिनांक 28.03.2017 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-860)

क्र. परि.-2023-628

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

खटौराकलां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खटौराकलां, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1560 दिनांक 28.03.2017 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/299 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत खटौराकलां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खटौराकलां, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1560 दिनांक 28.03.2017 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-861)

क्र. परि.-2023-629

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

मढ़ावनमार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मढ़ावनमार, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1565 दिनांक 28.03.2017 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/300 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मढ़ावनमार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मढ़ावनमार, वि.खं. मालथौन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1565 दिनांक 28.03.2017 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-862)

क्र. परि.-2023-630

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

रेगुवां दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रेगुवां, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1576 दिनांक 21.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/301 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत रेगुवां दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रेगुवां, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1576 दिनांक 21.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-863)

क्र. परि.-2023-631

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

मुड़ियादेहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मुड़ियादेहरा, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1588 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/302 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मुड़ियादेहरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मुड़ियादेहरा, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1588 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-864)



क्र. परि.-2023-632

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

बिल्धव दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बिल्धव, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1590 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/303 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बिल्धव दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बिल्धव, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1590 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-865)

क्र. परि.-2023-633

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

गिरौल दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गिरौल, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1591 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/304 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत गिरौल दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गिरौल, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1591 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-866)

क्र. परि.-2023-634

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

ढांड दुग्ध सहकारी समिति मर्या., ढांड, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1600 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/305 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत ढांड दुग्ध सहकारी समिति मर्या., ढांड, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1600 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-867)

क्र. परि.-2023-635

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सींगना दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सींगना, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1601 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/306 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सींगना दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सींगना, वि.खं. सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1601 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-868)

क्र. परि.-2023-636

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

भबूकावारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भबूकावारी, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1602 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/307 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्ड्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत भबूकावारी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भबूकावारी, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1602 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-869)

क्र. परि.-2023-637

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

सावलखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सावलखिरिया, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1605 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/308 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था ।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है ।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्ड्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत सावलखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सावलखिरिया, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1605 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-870)

क्र. परि.-2023-638

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

जरियाखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या., जरियाखिरिया, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1606 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/309 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत जरियाखिरिया दुग्ध सहकारी समिति मर्या., जरियाखिरिया, वि.खं. रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1606 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-871)

क्र. परि.-2023-639

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

भानगढ़ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भानगढ़, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1607 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/310 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत भानगढ़ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भानगढ़, वि.खं. बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1607 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अहिरवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-872)

क्र. परि.-2023-640

सागर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत ]

लेटवास दुग्ध सहकारी समिति मर्या., लेटवास, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1608 दिनांक 28.03.2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने एवं बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या. सागर द्वारा अपने पत्र क्र./29/क्षे.सं./F.No.-120/बु.स.दु.सं./2022 दिनांक 11.01.2022 से परिसमापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यालय से कारण बताओ सूचनापत्र क्र./परिसमापन/2022/311 सागर दिनांक 15.02.2022 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचनापत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं परशराम कावड़कर डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सागर म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र.सह.सो.अधिनियम 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत लेटवास दुग्ध सहकारी समिति मर्या., लेटवास, वि.खं. खुरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1608 दिनांक 28.03.2018 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री संजय अद्विवार, प्रबंधक क्षेत्र संचालक, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को उक्त संस्था को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28-04-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार

(G-873)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला भिण्ड

क्र. परि.-2023-450

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/61 दिनांक 07/02/2023 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जौरी जोतवाल वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/433 दिनांक 14.12.1986 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि क्या न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयवधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि लगभग गये ज़रूरी की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी. दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं। का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित अटेर वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/433 दिनांक 11.12.1986 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर.के. जैन सोलने पद सर निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-874)

क्र. परि.—2023—449

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/60 दिनांक 07/02/2023 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उदन्नखेड़ा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/439 दिनांक 11.12.1986 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई पाधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभिवावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी. दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं। का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उदन्नखेड़ा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/439 दिनांक 11.12.1986 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर.के. जैन सोलने पद सर निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-875)

क्र. परि.—2023—448

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/59 दिनांक 07/02/2023 द्वारा ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित अटेर वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/1111 दिनांक 05.01.2019 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयवधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित अटेर वि.ख.अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/1111 दिनांक 05.01.2019 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर.के.गैंगुली पद सह निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-876)

क्र. परि.-2023-447

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/58 दिनांक 07/02/2023 द्वारा शक्तिपुज ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गढा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/861 दिनांक 07.02.2003 को जिरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण उप सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयवधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड शक्तिपुज ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गढा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/861 दिनांक 07.02.2003 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर.के.गैंगुली पद सह निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-877)

क्र. परि.-2023-446

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/56 दिनांक 07/02/2023 द्वारा साबुन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित पिडोरा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रं/डी.आर./बी.एच.डी/1016 दिनांक 25.02.2016 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के सबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं। का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड साबुन उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित पिडोरा वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रं/डी.आर./बी.एच.डी/1016 दिनांक 25.02.2016 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर.के.गैंगुली पद सह निरीक्षक का आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-878)

क्र. परि.-2023-445

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/55 दिनांक 07/02/2023 द्वारा मोमवल्ली उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित खडोरी वि.ख. अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रं/डी.आर./बी.एच.डी/1047 दिनांक 23.06.2015 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के सबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।



मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे पदस्त है का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खड़ेरी विख, अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/1047 दिनांक 23.06.2015 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर.के. जैन सोलाने पद सर निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-879)

क्र. परि.—2023—444

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/53 दिनांक 07/02/2023 द्वारा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खारीपुरा विकास खण्ड मेहगांव पंजीयन क्रमांक/डीआर/बीएचडी/943 दिनांक 13.08.2007 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी, दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे पदस्त है का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खारीपुरा पंजीयन क्रमांक/डीआर/बीएचडी/943 दिनांक 13.08.2007 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आलोक जासक पद सर निरी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-880)

क्र. परि.—2023—443

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/57 दिनांक 07/02/2023 द्वारा मां पीताम्बर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित मेहगांव जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्र/डी.आर./बी.एच.डी/990 दिनांक 04.06.2011 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी. दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड मां पीताम्बरा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित मेहगांव जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रं/डी.आर./बी.एच.डी/990 दिनांक 04.06.2011 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री माला प्रसाद पद सह. निरीक्षक को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-881)

क्र. परि.-2023-442

भिण्ड, दिनांक 19 अप्रैल 2023

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70(1) के अंतर्गत ]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2023/53 दिनांक 07/02/2023 द्वारा बालाजी साख सहकारी संस्था मर्यादित भिण्ड वि.ख. भिण्ड अटेर जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रं/डी.आर./बी.एच.डी/1084 दिनांक 13.08.1999 को निरन्तर विगत 3 वर्षों से अकार्यशील होने के कारण म.प्र. सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उसमें वर्णित आरोपों के संबंध में पूछा गया था कि, क्यों न सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्था को परिसमापन लाया गया जावे। इस हेतु संस्था को अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया गया था।

संस्था की ओर से नियम समयावधि में अपना पक्ष समर्थन हेतु न तो कोई प्राधिकारी उपस्थित हुआ और न कोई भी लिखित में संस्था की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचाने का पर्याप्त आधार है कि, लगाये गये आरोप, की गई अनियमितताओं के बारे में संस्था कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को आरोप स्वीकार है।

मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-15-1-99-15-1 सी. दिनांक 26/07/1999 द्वारा मुझे प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं अनुभा सूद, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला भिण्ड बालाजी साख सहकारी संस्था मर्यादित भिण्ड वि.ख. भिण्ड जिला भिण्ड जिसका पंजीयन क्रं/डी.आर./बी.एच.डी/1084 दिनांक 13.08.1999 को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री माला प्रसाद पद सह. निरीक्षक को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

(G-882)

अनुभा सूद, उप पंजीयक.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023-वैशाख 29, शक 1945

भाग ३ ( २ )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )